



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 अग्रहायण, 1946 (श०)

संख्या - 787 राँची, गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2024 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

1 अक्टूबर, 2024

ज्ञापांक:- खा०आ०प्र०-01/ज०वि०प्र०-02/2024 - 2403--आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, (1955 का अधिनियम 10) की धारा-3 सहपठित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या G.S.R. 213 (E) दिनांक 20.03.2015 द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के द्वारा राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित अनुज्ञप्ति जारी करने, निलम्बन/रद्द करने, अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्तें, कार्यकलाप एवं अनुश्रवण के संबंध में झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2022 को विलोपित करते हुए “झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024” निम्नवत् किया जाता है -

अध्याय-I (प्रारंभिक)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- (i) इस आदेश का नाम “झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024” है।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह आदेश झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ

- (i) ‘नियंत्रण आदेश’ से अभिप्रेत झारखण्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024 है;
- (ii) ‘अधिनियम’ से अभिप्रेत है आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10);
- (iii) ‘केन्द्रीय आदेश’ से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 एवं समय-समय पर संशोधित आदेश;
- (iv) ‘राज्य सरकार’ से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार;
- (v) ‘विभाग’ से अभिप्रेत है खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार;
- (vi) ‘खाद्य आयुक्त’ से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड सरकार;
- (vii) ‘निदेशालय’ से अभिप्रेत है खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड;
- (viii) ‘निदेशक’ से अभिप्रेत है खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड के निदेशक;
- (ix) ‘अपील प्राधिकारी’ से अभिप्रेत है उपायुक्त अथवा इस आदेश के अधीन अपील प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य प्राधिकारी;
- (x) ‘प्राधिकारी’ से अभिप्रेत है राज्य सरकार में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्यरत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से अन्यून श्रेणी का पदाधिकारी;
- (xi) ‘निगम’ से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड;
- (xii) ‘सक्षम पदाधिकारी’ से अभिप्रेत है विभाग के द्वारा पदस्थापित/जिला के उपायुक्त के द्वारा प्राधिकृत राज्य सरकार के पदाधिकारी, जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से अन्यून स्तर का पदाधिकारी हो।
- (xiii) ‘अनुज्ञापन पदाधिकारी’ से अभिप्रेत है विभिन्न क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी तथा इस आदेश के प्रावधानों के अधीन शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये पदाधिकारी जो अपने प्रक्षेत्र में जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (आपूर्ति) अथवा इन पदों पर संबंधित उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे;
- (xiv) ‘उचित मूल्य की दुकान’ से अभिप्रेत है ऐसी दुकान जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन कार्डधारकों को इस आदेश के अधीन आवश्यक वस्तु वितरित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदत्त हो;
- (xv) ‘उचित मूल्य दुकान संचालक मालिक’ से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति अथवा समूह जिन्हें, आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति प्रदत्त हो;

- (xvi) **‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली’** से अभिप्रेत है वितरण की वह प्रणाली जिसके माध्यम से राशन कार्डधारकों को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है;
- (xvii) **‘राशन कार्ड’** से अभिप्रेत है निम्नलिखित प्रकार के राशन कार्ड:-
- (a) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पूर्ववक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवारों को जारी किया राशन कार्ड (गुलाबी कार्ड)।
 - (b) अंत्योदय अन्न योजना के लिए जारी किया गया राशन कार्ड (पीला कार्ड)।
 - (c) सफेद राशन कार्ड।
 - (d) झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जारी किया गया राशनकार्ड (हरा कार्ड)।
 - (e) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी विशेष योजना के लिए जारी किया गया राशन कार्ड।
- (xviii) **‘अंत्योदय परिवार’** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत चिह्नित किये गए ऐसे परिवार जिन्हें अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड जारी किया गया हो;
- (xix) **‘पूर्ववक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार’** से अभिप्रेत है अध्याय-प् के धारा-4 में वर्णित परिवार;
- (xx) **‘पात्र आवेदक’** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो झारखण्ड राज्य का निवासी हो एवं जो राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए उन शर्तों को पूरा करता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय;
- (xxi) **‘आवंटन माह’** से अभिप्रेत है वह माह जिसके लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण हेतु खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है;
- (xxii) **‘राशन कार्ड सेवा केन्द्र’** से अभिप्रेत है प्रज्ञाकेन्द्र अथवा प्रखण्ड तथा नगर निकाय मुख्यालय में अवस्थित ऐसा केन्द्र जो राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत कार्रवाई हेतु संसूचित हो;
- (xxiii) **‘राशन कार्ड निर्गमन प्राधिकार’** से अभिप्रेत है जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (आपूर्ति) अथवा उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी से न्यून न हो।
- (xxiv) **‘राज्य स्तरीय परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता’** से अभिप्रेत है लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के अधीन गोदामों से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधीन गोदामों तक आवश्यक वस्तुओं के हथालन एवं परिवहन हेतु नियुक्त अभिकर्ता;
- (xxv) **‘डोर स्टेप डिलिवरी अभिकर्ता’** से अभिप्रेत है लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधीन गोदामों से उचित मूल्य दुकान संचालक (या PVTG परिवार के आवास तक) आवश्यक वस्तुओं के हथालन एवं परिवहन हेतु नियुक्त अभिकर्ता एवं कर्मचारी।
- (xxvi) **‘ई-पॉस मशीन’** से अभिप्रेत है लाभुकों की पहचान का सत्यापन एवं विक्रय के पारगमन हेतु उचित मूल्य की दुकानों पर अधिष्ठापित मशीन।
- (xxvii) **‘संपर्क पदाधिकारी (पी०एम०यू०)’** से अभिप्रेत है जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत उचित मूल्यों की दुकान के संचालन के प्रबंधन हेतु गठित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी०एम०यू०) का सदस्य जो संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालक हेतु उत्तरदायी हो।
- (xxviii) **‘निरीक्षी पदाधिकारी’** से अभिप्रेत है अध्याय-VIII के धारा 34(i) के अन्तर्गत अधिसूचित पदाधिकारी।
- (xxix) **“परिवार”** से अभिप्रेत है कि एक चूल्हे से खाना खानेवाले पति, पत्नी एवं उनके बच्चे तथा पति के आश्रित माता, पिता एवं उन पर आश्रित सभी अविवाहित भाई-बहन।
- (xxx) **“झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना”** से आच्छादित परिवार से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से अनाच्छादित ऐसे लाभुक परिवार, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में वर्णित पात्रता तो पूरा करते हैं, परन्तु वर्तमान में रिक्ति नहीं होने के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से आच्छादित नहीं हैं, किन्तु जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से विधिवत आच्छादित किया गया है।

अध्याय-II (राशन कार्ड)

3. पात्रता

- (i) केन्द्रीय आदेश के अन्तर्गत राज्य हेतु निर्धारित जनसंख्या का प्रतिशत की अधिसीमा में जनवितरण प्रणाली से खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित परिवारों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित माप-दण्डों के अनुसार पात्रता निर्धारित की जाएगी।
- (ii) निम्नलिखित गृहस्थ/व्यक्ति राशन कार्ड पाने के पात्र होंगे;
 - (क) केन्द्र सरकार द्वारा 25 दिसम्बर 2000 को चालू किए गए अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आलोक में चयनित परिवार।
 - (ख) पूर्वविक्ता पात्र गृहस्थ एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवार।
 - (ग) अन्य गृहस्थ जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लक्षित नहीं हैं, किन्तु जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा विचार किए जाने पर अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है।
- (iii) उपखण्ड (ii) (क) के लाभार्थी प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह पाने के भागी होंगे।
- (iv) अन्त्योदय अन्न योजना के वर्तमान गृहस्थ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भी लाभार्थी बने रहेंगे यदि वे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मानकों के अन्तर्गत पात्र होते हैं।
- (v) उपखण्ड (ii) (ख) में उल्लेखित पूर्वविक्ता पात्र गृहस्थ एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह पाने के हकदार होंगे।

4. पूर्वविक्ता पात्र गृहस्थ श्रेणी के लाभार्थियों की पहचान

- (i) खण्ड 3 के उपखण्ड (ii) में उल्लेखित अन्त्योदय अन्न योजना, पूर्वविक्ता पात्र गृहस्थों एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित लाभुकों की पहचान विभाग द्वारा निर्धारित अपवर्जन एवं समावेशन मानकों के आधार पर की जाएगी। विभाग इसमें प्राथमिकता के आधार पर कार्ड निर्गत करने का निदेश जारी कर सकता है।
- (ii) **समावेशन मानक (Inclusion Criteria)**
 - (a) सभी व्यक्ति, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत्त न हों।
 - (b) सभी विधवा, परित्यक्ता एवं Transgender, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/ प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/ न्यास, इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत्त न हों।

- (c) 40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाले वैसे सभी निःशक्त, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हों।
- (d) सभी आदिम जनजाति (PVTG- Particularly Vulnerable Tribal Group) के सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/ न्यास, इत्यादि में नियोजित न हों।
- (e) सिविल सर्जन से अन्यून पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/ उद्यम/प्रक्रम/ उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हों।
- (f) अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/ नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित न हों।
- (g) सभी भिखारी एवं गृहविहीन व्यक्ति।
- (h) कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाड़ूकश (Sweeper)।
- (i) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/राजमिस्त्री (Mason)/अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker)/रिक्शाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thela/ Hand Cart Puller)।
- (j) फुटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेन्टर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/ मैकेनिक (Mechanic)/ दर्जी (Tailor)/ नलसाज (Plumber) /माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler)।

(iii) अपवर्जन मानक (Exclusion Criteria)

- (a) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/ उद्यम/ प्रक्रम/ उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/ नगरपालिका/ न्यास, इत्यादि में नियोजित हो, अथवा;
- (b) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य आयकर/सेवा कर/ व्यवसायिक कर/GST देता हो, अथवा;
- (c) वैसे परिवार, जिनके पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो, अथवा;
- (d) वैसे परिवार, जिनके पास चार पहिया मोटर वाहन (Four Wheeler Vehicle) अथवा इससे अधिक पहिया के वाहन हों, अथवा;
- (e) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हो, अथवा;
- (f) सरकारी आवास योजनाओं से अनाच्छादित वैसे परिवार, जिनके पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो, अथवा;

- (g) वैसे परिवार, जिनके पास 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि) हो।

5. लाभार्थी के डाटा-बेस को सार्वजनिक पटल पर रखना

- (i) राज्य सरकार अंगीकृत डाटा बेस में राशन कार्ड के डाटा का अनुरक्षण करेगी और सुनिश्चित करेगी कि नए राशन कार्ड को जारी करना एवं विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से किए जाएं, जिससे डाटा बेस स्वतः अद्यतन हो जाए।
- (ii) राज्य सरकार लाभार्थियों की अंतिम सूची श्रेणीवार विभागीय वेब पोर्टल पर प्रदर्शित करेगी।
- (iii) सभी लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्रत्येक लाभुक का सत्यापन सुनिश्चित कराया जायेगा।

6. राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली

राशन कार्ड के लिए ऑफलाईन या ऑनलाईन तरीके से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों का डिजिटल जेशन किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन हेतु प्रणाली निम्नवत् होगी -

- (i) राशन कार्ड के प्रबंधन एवं अद्यतनीकरण हेतु एक वेब आधारित गतिशील राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली का संधारण किया जायेगा, जिसका उपयोग निम्न परिस्थितियों में किया जायेगा
 - (क) वैसे लाभार्थी, जो राशन कार्ड पाने की पात्रता रखते हैं, किन्तु किसी कारणवश वंचित रह गए हैं, नए राशन कार्ड के निर्गमन हेतु निशुल्क ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। सेवा केन्द्रों अथवा अन्य जगहों से ऑनलाईन आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा।
 - (ख) लाभार्थी अपना **ठपवउमजतपबध्ज्** के माध्यम से विभागीय वेब पोर्टल से स्वतः अपना राशनकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
 - (ग) प्राप्त राशनकार्ड में किसी भी गलत प्रविष्टि में सुधार/बदलाव हेतु लाभार्थी समर्थन दस्तावेज के साथ ऑनलाईन निःशुल्क आवेदन समर्पित करेंगे।
 - (घ) राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली के डाटाबेस से लाभार्थी के स्वेच्छापूर्वक वापसी, उनके अपात्र होने की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा उनकी मृत्यु होने पर संबंधित लाभार्थी का नाम हटा दिया जायेगा।
 - (ङ) लाभार्थी परिवार के बँटवारे की स्थिति में राशन कार्ड के दो या अधिक कार्डों में बँटवारे हेतु लाभार्थी निःशुल्क ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेगा। लाभार्थी को प्राप्त राशन कार्डों में से एक पुराने नम्बर एवं शेष नए नम्बरों से जारी किए जायेंगे।
 - (च) लाभार्थी के 'अन्योदय परिवार' से 'पूर्वविक्रता परिवार' में स्थिति परिवर्तन होने पर राशन कार्ड हेतु लाभार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जायेगा। तदोपरान्त विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत उसे पुराने राशन कार्ड के स्थान पर नया राशन कार्ड जारी किया जायेगा।
- (ii) राशन कार्ड के निर्माण/सुधार/रद्दीकरण आदि के लिए प्रणाली निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

I. नये राशन कार्ड का निर्गमन:-

वैसे लाभार्थी जो राशन कार्ड पाने की पात्रता रखते हैं, वे नये गुलाबी, हरा अथवा सफेद राशन कार्ड हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:-

- (क) सर्वप्रथम नये हरे राशन कार्ड का आवेदन परिवार की महिला मुखिया द्वारा दिया जायेगा। परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिला नहीं होने की स्थिति में इस आशय का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना होगा एवं उक्त स्थिति में सबसे अधिक आयु के पुरुष सदस्य संबंधित परिवार के मुखिया होंगे, किन्तु परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिला आ जाने की स्थिति में महिला सदस्य ही संबंधित परिवार की मुखिया होगी। यदि उस परिवार में वयस्क महिला हैं और तब भी पुरुष सदस्य द्वारा ऐसे आवेदन दिये गये हों या दिये जायेंगे तो ऐसे आवेदन के निस्तारण के क्रम में व्यस्क महिला को ही परिवार का मुखिया माना जाएगा।
- (ख) नये राशन कार्ड को निर्गत करने हेतु परिवार के मुखिया के साथ-साथ सभी सदस्यों का आधार संख्या अपलोड करना होगा। कोई भी नया राशनकार्ड बिना आधार संख्या के नहीं निर्गत किया जा सकता है।
- (ग) नये राशन कार्ड को निर्गत करने हेतु आवेदनकर्ता को परिवार के समावेशन मानक में सन्निहित होने तथा अपवर्जन मानकों में नहीं आने से संबंधित स्वघोषणा पत्र अपलोड करना होगा (नया प्रपत्र-VIII)।

आवेदकों द्वारा निर्धारित (प्रपत्र-10A में) ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जायेंगे, जिसमें आवेदकों की सम्पूर्ण विवरणी, स्वघोषणा के साथ-साथ आधार संख्या देना अनिवार्य होगा एवं मोबाईल संख्या, बैंक खाता संख्या, इत्यादि सूचनाएँ अंकित किया जाना ऐच्छिक होगा। किसी कारणवश ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित किये जाने में समस्या होने की स्थिति में ऑफलाईन आवेदन पत्र समर्पित किये जा सकेंगे।

संबंधित पंचायत के मुखिया/शहरी निकाय के वार्ड पार्षद प्राप्त आवेदनों की पात्रता/निर्धारित समावेशन/ अपवर्जन मानक के संदर्भ में समपुष्टि करेंगे। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी द्वारा स्थल जांच कर उक्त आवेदनों की जांच कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे। जन प्रतिनिधि की उपलब्धता नहीं होने पर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित पंचायत सेवक एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित राजस्व कर्मचारी प्राप्त आवेदनों के पात्रता/ निर्धारित समावेशन/अपवर्जन मानक के संदर्भ में की सम्पुष्टि करेंगे।

- (घ) आवेदन के जांच/सत्यापन के उपरान्त प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा संबंधित योजनान्तर्गत **लाभुकों को हरा रंग का पृथक राशन कार्ड** निर्गत किया जायेगा। यह राशन कार्ड विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

- (ङ) उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिलावार आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गयी है। अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों का Addition एवं Deletion एक सतत प्रक्रिया है, जिसके कारण जिलावार रिक्तियाँ घटती बढ़ती रहती हैं। जिलावार रिक्तियों के आलोक में ही अधिनियम के तहत नये लाभुकों को आच्छादित करते हुए नया राशनकार्ड निर्गत किया जा सकता है।

- (च) विभाग झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जारी हरा राशनकार्ड से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गुलाबी (PHM) राशनकार्ड में कार्डधारियों का स्थानान्तरण की कार्रवाई आवश्यकतानुसार करेगा।
- (छ) उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत राशनकार्ड में सदस्यों को जोड़ने एवं हटाने की कार्रवाई, झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से लाभुकों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण एवं स्थानान्तरण के पश्चात् झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध लाभुकों को हरा राशन कार्ड से आच्छादित किया जाना हर माह सतत् रूप से जारी रहेगा।
- (ज) संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी के जाँचोपरान्त की गयी अनुशंसा के आधार पर नये राशन कार्ड के आवेदन को संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा ससमय ऑनलाईन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।

II. परिवार के बँटवारे की स्थिति में नये राशन कार्ड का निर्गमन:-

राशन कार्डधारी लाभार्थी परिवार यदि पारिवारिक बँटवारे के कारण अपना नया अलग राशन कार्ड बनवाना चाहते हों, तो उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। यह आवेदन सीधे जिला आपूर्ति पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:-

- (क) परिवार बँटवारे की स्थिति में नया राशन कार्ड बनवाने का आवेदन (प्रपत्र-10 (B)(i) तथा 10 (B)(ii) में) परिवार के मुखिया अपने आधार संख्या एवं स्वघोषणा पत्र के साथ दे सकते हैं।
- (ख) आवेदनकर्ता को परिवार के अपवर्जन मानकों में नहीं आने से संबंधित स्वघोषणा पत्र अपलोड करना होगा (प्रपत्र-VIII)।
- (ग) बँटवारा के कारण नया अलग राशन कार्ड बनवाने के आवेदन को संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा ससमय ऑनलाईन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।
- (घ) आवेदन स्वीकृत करने की स्थिति में बँटवारा के पश्चात् पुराने (मूल) राशन कार्ड एक परिवार को तथा अन्य अलग हुए पात्र लाभुक परिवारों को पूर्वविकता प्राप्त अथवा अपात्र लाभुक की स्थिति में इच्छा होने पर सफेद राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा।
- (ङ.) अन्त्योदय परिवार के बँटवारे की स्थिति में पुराना अन्त्योदय कार्ड को रद्द करते हुए बँटवारे के पश्चात् पात्र लाभुक परिवार/परिवारों को पूर्वविकता प्राप्त राशनकार्ड अथवा अपात्र हो जाने की स्थिति में इच्छा होने पर सफेद राशनकार्ड निर्गत किया जा सकेगा।
- (च) आवेदनकर्ता (मुखिया) द्वारा आवेदन देने के पश्चात् पुराने राशनकार्ड में बँटवारे के पश्चात् अलग हुए परिवार के सदस्यों का नाम हटाना एवं नये राशनकार्ड की स्थिति में अलग हुए परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने का कार्य जिला द्वारा 30 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जायेगा।

III. राशन कार्ड में पता बदलवाना:-

वैसे लाभार्थी परिवार, जिनके पास राशन कार्ड है, एवं जो अपना आवास स्थान बदलने के कारण राशन कार्ड में पता बदलवाना चाहते हों तो ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:-

- (क) राशन कार्ड में पता बदलवाने का आवेदन (प्रपत्र-10 C में) परिवार के मुखिया अपने आधार संख्या के साथ दे सकते हैं।
- (ख) बायोमेट्रिक/आधार आधारित OTP के सत्यापन से डाटा में सुधार हो जायेगा।

IV. पुराने राशन कार्ड में नये सदस्य का नाम जोड़ना:-

वैसे लाभार्थी, जिनके परिवार के पास राशन कार्ड है, वे परिवार के नये सदस्य का नाम जोड़ने हेतु विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। यह कार्य कंडिका-6 (ii) में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

V. एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में नाम जोड़ना:-

वैसे लाभार्थी जिनके परिवार के पास राशन कार्ड है, वे विवाह जैसी परिस्थिति के अनुरूप एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में नाम जोड़ने हेतु विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:-

- (क) एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में नाम जोड़ने हेतु आवेदन (प्रपत्र-10 E(i) तथा 10 E9(ii) में) राशनकार्ड के संबंधित सदस्य जिसके नाम का स्थानांतरण प्रस्तावित है, के द्वारा दिया जायेगा।
- (ख) नये सदस्य का नाम जोड़ने हेतु उस सदस्य का आधार संख्या संलग्न करना होगा। पुराना राशनकार्ड झारखण्ड राज्य में स्थानांतरित ही होने की स्थिति में आधार आधारित बायोमेट्रिक/OTP आधारित सत्यापन के उपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा।
- (ग) आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन देने के पश्चात् राशनकार्ड में नये सदस्यों के नाम जोड़ने का कार्य एवं पुराने राशनकार्ड में नाम हटाने का कार्य करते हुए नये राशनकार्ड का निर्गमन का कार्य जिला द्वारा 30 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जायेगा।

VI. पुराने राशन कार्ड में सदस्य का नाम हटाना:-

वैसे लाभार्थी जिनके परिवार के पास राशन कार्ड है, वे परिवार के मृत, अपवर्जन मानक में आने वाले सदस्य, समावेशन मानक से बाहर हो जाने वाले सदस्य अथवा प्रवासी (देश के बाहर) सदस्य का नाम हटाने हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:-

- (क) राशन कार्ड में मृत अपवर्जन मानक में आने वाले सदस्य, समावेशन मानक से बाहर हो जाने वाले सदस्य अथवा प्रवासी (देश के बाहर) सदस्य का नाम हटाने का आवेदन (प्रपत्र-10 F में) परिवार के मुखिया द्वारा दिया जायेगा। अगर सबसे व्यस्क महिला/मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत्यु

- उपरान्त राशनकार्ड में होने वाले परिवार के अगले व्यस्क महिला/मुखिया के द्वारा आवेदन दिया जायेगा।
- (ख) मृत व्यक्ति का नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र हो तो सिर्फ इसे ही अपलोड करने पर उनका नाम विलोपित कर दिया जायेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में मृत अथवा प्रवासी सदस्य का नाम हटाने हेतु परिवार के मुखिया को अपने आधार संख्या की छायाप्रति अपलोड करना होगा।
- (ग) मृत, अपवर्जन मानक में आने वाले सदस्य, समावेशन मानक से बाहर हो जाने वाले सदस्य अथवा प्रवासी (देश के बाहर) सदस्य का नाम हटाने हेतु आवेदन के संबंध में संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उस परिवार को एवं वहाँ के मुखिया/वार्ड पार्षद को नोटिस जारी किया जायेगा। संबंधित पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँचोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन से संतुष्ट होने के उपरान्त विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उस अनुरोध को उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाईन निष्पादित किया जायेगा।
- (घ) उपर्युक्त के अतिरिक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता/अन्य स्रोत/सर्वेक्षण आदि से मृत सदस्य का नाम हटाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उस परिवार को एवं वहाँ के मुखिया/वार्ड पार्षद को नोटिस जारी किया जायेगा। संबंधित पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँचोपरान्त ससमय मृत सदस्य का नाम संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा राशन कार्ड से हटा दिया जायेगा।
- (ङ) आवेदनकर्ता (मुखिया) द्वारा आवेदन देने के पश्चात् राशनकार्ड में सदस्यों के नाम हटाने का कार्य करते हुए नये राशनकार्ड का निर्गमन का कार्य जिला द्वारा 30 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा।

VII. राशन कार्ड को सरेण्डर करना:-

वैसे लाभार्थी परिवार जो आर्थिक स्थिति में उन्नति होने के कारण स्वेच्छा से राशन कार्ड का सरेण्डर करना चाहते हों वे ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (क) राशन कार्ड को सरेण्डर करने का आवेदन (प्रपत्र-10 G में) परिवार के मुखिया द्वारा दिया जायेगा।
- (ख) राशन कार्ड सरेण्डर करने हेतु मुखिया के द्वारा आधार आधारित बायोमेट्रिक/OTP आधारित सत्यापन के उपरांत स्वीकृति दी जा सकेगी।

VIII. अन्त्योदय परिवार से पूर्वविक्ता परिवार में स्थिति परिवर्तन होने पर राशन कार्ड का परिवर्तन :-

वैसे लाभार्थी परिवार जिनके पास अन्त्योदय अन्न योजना राशन कार्ड है, वे आर्थिक स्थिति परिवर्तित होने के कारण स्वेच्छा से अपने कार्ड को पूर्वविक्ता प्राप्त परिवार में परिवर्तित करना चाहते हों तो विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:-

- (क) राशन कार्ड को अन्त्योदय अन्न योजना से पूर्वविक्ता प्राप्त परिवार में परिवर्तित करने का आवेदन परिवार के मुखिया द्वारा दिया जायेगा।

- (ख) राशन कार्ड में उपर्युक्त बदलाव करने हेतु परिवार के मुखिया के द्वारा आधार आधारित बायोमेट्रिक/OTP आधारित सम्पुष्टि की प्रक्रिया के उपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा।
- (ग) राशन कार्ड को अंत्योदय अन्न योजना से पूर्वविक्ता प्राप्त परिवार में बदलवाने के आवेदन को संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् राशनकार्ड बदलने का कार्य जिला द्वारा 30 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा।

IX. पुराने राशन कार्ड में पारिवारिक मुखिया का बदलाव:-

वैसे लाभार्थी जिनके परिवार के पास राशन कार्ड है, वे परिवार के मुखिया के बदलाव ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:-

- (क) पारिवारिक मुखिया के बदलाव का आवेदन (प्रपत्र-10 H में) परिवार के सभी सदस्यों को अपने हस्ताक्षरयुक्त प्रतिशपथ पत्र द्वारा दिया जायेगा। साथ ही, उपर्युक्त राशनकार्ड में मुखिया का बदलाव किये जाने के कारण (मुखिया की मृत्यु, मुखिया का किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाना, मानसिक दिवालियापन आदि) का भी उल्लेख करना होगा तथा उक्त का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (ख) राशन कार्ड में पारिवारिक मुखिया बदलवाने के आवेदन को संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के स्तर से निष्पादित किया जायेगा। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् राशनकार्ड में मुखिया का नाम बदलने का कार्य जिला द्वारा 30 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा।

X. राशन कार्ड का रद्दीकरण-

निम्नांकित परिस्थितियों में भी सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उस परिवार को एवं वहाँ के मुखिया/वाई पार्षद को नोटिस जारी किया जायेगा और उनका पक्ष जाना जायेगा। संबंधित पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँचोपरान्त ससमय संबंधित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा राशन कार्ड को रद्द कर दिया जायेगा:-

- (क) यदि राशन कार्डधारी का परिवार अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आ गया हो अथवा,
- (ख) यदि राशन कार्डधारी का पूरा परिवार अपने निवास स्थल पर लगातार छः माह से अधिक अवधि से नहीं रहता हो अथवा,
- (ग) यदि राशन कार्डधारी द्वारा लगातार छः माह से अधिक अवधि से जन वितरण प्रणाली दुकान से सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सामग्री का उठाव नहीं किया गया हो अथवा,
- (घ) यदि राशन कार्डधारी द्वारा अपना कार्ड सरेण्डर करने का आवेदन दिया गया हो अथवा,
- (ङ.) यदि राशन कार्डधारी द्वारा अपने आधार नम्बर पर एक से अधिक राशन कार्ड के माध्यम से राशन कार्ड का उठाव किया गया हो, तो उसके मूल राशनकार्ड को छोड़कर शेष अन्य सभी संबंधित राशन कार्ड रद्द कर दिये जायेंगे।

- (च) कंडिका क, ख एवं ग के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर संबंधित जाँचकर्ता द्वारा प्रपत्र 10 I के अनुरूप आवेदन भरकर अपलोड की जायेगी।
- (छ) आवेदनकर्ता (मुखिया) द्वारा आवेदन देने के पश्चात् राशनकार्ड के रद्दीकरण का कार्य करते हुए सभी सदस्यों का नाम राशनकार्ड से हटाने का कार्य जिला द्वारा 30 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा।

XI. राशनकार्ड की प्रविष्टियों में सुधार की प्रक्रिया-

वैसे लाभार्थी जो राशन कार्ड में निम्न सुधार करना चाहते हों तो परिवार के मुखिया के द्वारा ऑनलाईन माध्यम से आवेदन समर्पित किया जायेगा जो आधार आधारित बायोमेट्रिक/OTP आधारित सम्पुष्टि के प्रक्रिया के उपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा।

- i. नाम में Spelling Mistake का सुधार।
- ii. माता पिता के नाम में Spelling Mistake का सुधार।
- iii. लिंग में सुधार।
- iv. संबंध (Relation) में सुधार।
- v. जन्म तिथि में सुधार।
- vi. जन वितरण प्रणाली विक्रेता में बदलाव।
- vii. आधार सीडिंग।
- viii. एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में नाम स्थानांतरित कराना।

XII. राशनकार्ड में दर्ज मोबाईल नम्बर का बदलाव-

वैसे लाभार्थी जो अपने राशन कार्ड में अंकित मोबाईल नम्बर में बदलाव करना चाहते हो तो उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जायेगा। लाभार्थी के आधार संख्या से सम्बद्ध मोबाईल नम्बर पर OTP आधारित सत्यापन के उपरांत ऑनलाईन प्रणाली से स्वीकृति की जा सकेगी।

(iii) लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति विभागीय वेब पोर्टल पर लॉगिन कर के प्राप्त कर सकेंगे।

(iv) राशनकार्ड आवेदन के प्रसंस्करण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी:-

नया राशन कार्ड के लिए ऑफलाईन या ऑनलाईन तरीके से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों का डिजिटल जेशन किया जायेगा। नये राशनकार्ड के निर्माण हेतु प्राप्त फॉर्म प्राप्त में सभी आवश्यक सूचनाएँ यथा नाम, उम्र, परिवार के सदस्यों का नाम, उम्र, पता, फोटो, सभी सदस्यों का आधार संख्या (अनिवार्य), बैंक खाता संख्या, जाति प्रमाण पत्र (ऐच्छिक) विधवा, विधुर इत्यादि से संबंधित घोषणा पत्र, (अगर लागू हो तो) विकलांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत Certificate (अगर लागू हो तो) एवं गंभीर बीमारी की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत Certificate (अगर लागू हो तो) आदि सूचनाएँ भरकर तथा उसकी ऑनलाईन कॉपी जमा करेंगे। तत्पश्चात एक Acknowledgement number, generate होगा एवं संबंधित आवेदनकर्ता का आवेदन संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के पास अग्रेतर कार्रवाई हेतु पहुँच जायेगा।

7. अयोग्य लाभार्थियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की स्थिति में दण्डात्मक प्रावधान

- (i) वैसे परिवार जिन्हें किसी कारणवश पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार अथवा अंत्योदय परिवार की श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका हो और जो सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आते हों अर्थात् वैसे परिवार जो इस यथोक्त श्रेणी के कार्ड योग्यता नहीं रखते हो, उनके द्वारा राशन कार्ड का सरेन्डर अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने एवं खाद्यान्न का उठाव करने पर अग्रेतर कंडिका के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।
- (ii) यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के अधीन निर्धारित अपवर्जन मानकों के अन्तर्गत आता है अथवा वह गलत सूचना देते हुए अन्त्योदय/पूर्वविक्ता राशन कार्ड प्राप्त करता है; तो सर्वप्रथम उसके राशनकार्ड को निरस्त कर दिया जायेगा एवं अगर उसके द्वारा ऑनलाईन राशन का उठाव किया गया है तो उसके विरुद्ध निम्नांकित कार्रवाई की जायेगी:
 - (क) आपराधिक कार्यवाही,
 - (ख) लिए गए राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाए के सदृश्य बाजार दर पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूली।
 - (ग) यदि वह भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो तो उपरोक्त के अलावा उस पर विभागीय कार्यवाही का संचालन।
- (iii) अगर उठाव ऑफलाईन किया जाता है तो उसका पक्ष सुना जायेगा एवं 15 दिनों के अंदर पूरी प्रक्रिया का निष्पादन कर अगर दोषी पाए जाते हैं तो कंडिका-7(ii) के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

8. राशन कार्ड हेतु अन्य वैधानिक प्रावधान

- (i) राशन कार्ड गृहस्थी की मुखिया के नाम से जारी किया जायेगा। प्रत्येक पात्र गृहस्थी में वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की न हो, राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी की मुखिया होगी:
परन्तु जहां किसी गृहस्थी में किसी समय 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कोई स्त्री नहीं है, किन्तु 18 वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है तो वहां गृहस्थी का वरिष्ठ पुरुष सदस्य राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशनकार्डों के लिए पुरुष सदस्य के स्थान पर गृहस्थी की मुखिया हो जायेगी।
- (ii) राशनकार्ड में मुखिया तथा उनके सदस्यों के नाम, आयु तथा आवास का पता स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाएगा। राशनकार्ड, कार्डधारी के आवास के क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य दुकान संचालक से संबद्ध किया जाएगा:

परन्तु One Nation One Rationcard के तहत सम्बद्ध उचित मूल्य के दुकान के स्थान पर उस क्षेत्र के निकटतम ऑनलाईन उचित मूल्य की दुकानों से अपनी सुविधानुसार राशन प्राप्त कर सकेगा।

- (iii) नवीन राशनकार्ड धारक अथवा संशोधन के साथ वर्तमान राशन कार्ड धारक अगले माह से खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।
- (iv) राशन कार्ड के लिए परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण एवं सही सूचना देना आवश्यक होगा।
- (v) कोई भी व्यक्ति, जिसके स्वयं के नाम पर अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से पूर्व से राशन कार्ड निर्गत हो, के द्वारा नया राशन कार्ड के लिए न तो आवेदन दिया जाएगा और न ही उनके द्वारा राशन कार्ड प्राप्त किया जायेगा। लाभार्थी परिवार के बँटवारों की स्थिति में धारा-6(ii)(II) के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
- (vi) राज्य सरकार अयोग्य/छद्म (बोगस) राशन कार्डों को रद्द करने प्रक्रिया की सत्त चालू रखेगी। इसमें पंचायती राज के निर्वाचित जन प्रतिनिधि के अलावा सम्बन्धित ज0वि0प्र0 विक्रेता को सूचना संग्राहक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। किसी सूचक द्वारा गलत सूचना दिये जाने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। अयोग्य/छद्म राशन कार्ड रद्द करने के लिए तय मानकों के अलावा सम्बन्धित प्रखण्ड/शहरी क्षेत्रों के वार्डों के नोडल पदाधिकारी/निर्गमन पदाधिकारी/ उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी को इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर उनके द्वारा स्थल जाँचोपरान्त ऐसे राशन कार्डों को रद्द किया जा सकेगा।
- (vii) रिक्त होने की स्थिति में राशन कार्ड के आवेदनों पर झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली-2011 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (30 दिनों के अंदर) के अन्दर राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा।
- (viii) राशन कार्ड पर राशनकार्डधारक मुखिया का स्पष्ट रूप से नाम, पूर्ण पता, उम्र एवं सदस्यों का पूर्ण नाम, उम्र तथा राशन कार्डधारक मुखिया से संबंध एवं जन वितरण प्रणाली के दुकानदार का नाम, जिसकी दुकान से उपभोक्ता सामग्रियों की आपूर्ति की जायेगी, उल्लेखित किया जायेगा।
- (ix) राशन कार्ड का उपयोग पहचान या निवास के सबूत के दस्तावेज के रूप में नहीं किया जाएगा।
- (x) राज्य सरकार इस खंड के अधीन सभी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा तैयार सॉफ्टवेर में या केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित फील्ड और मानकों के अनुसार प्रतिधारित करेगी।
- (xi) राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं के ब्यौरा और सेवाओं के परिदान के लिए समय-सीमा को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और राज्य के वेब पोर्टल सहित पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (xii) राशन कार्ड अहस्तांतरणीय होगा।
- (xiii) यदि कोई राशन कार्डधारी समय के साथ अपवर्जन मानक की श्रेणी में आ जाता है तो उसे राशन कार्ड को सरेण्डर करना पड़ेगा।

अध्याय-III

(अनुज्ञापन)

9. जन वितरण प्रणाली दुकानों का आवंटन

I. अहर्ता

- (i). जन वितरण प्रणाली की नई दुकान (अनुकम्पा के मामलों को छोड़कर) के आवंटन में प्राथमिकताएँ निम्नलिखित संस्था/वर्ग को क्रमशः दिया जायेगा जो कि संबंधित पोषक क्षेत्र की हो:
 - (क) महिला स्वयं सहायता समूह
 - (ख) महिला सहयोग समितियाँ
 - (ग) पैक्स/लैम्पस
 - (घ) भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ
 - (ङ.) वैसा समूह जिसके सभी सदस्य विकलांगता की परिभाषा में आते हैं। सभी की विकलांगता 40% से ऊपर की होनी चाहिए।
- (ii). जन वितरण प्रणाली की दुकानों की आवंटन में ग्रेड-II महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जायेगी। इनके न रहने पर ग्रेड-प् महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को अधिमानता दी जायेगी।
- (iii). ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड/झारखण्ड स्टेट लाइवलीहूड प्रमोशन सोसाईटी (JSLPS), झारखण्ड द्वारा समय-समय पर स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए निर्धारित मानक ही जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति प्रदान करने में मान्य होंगे।
- (iv). उचित मूल्य दुकान संचालक की नई अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए समूह के पदाधिकारियों यथा अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का मैट्रिक (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

II. निरहर्ता

- (i). जन वितरण प्रणाली दुकानों का आवंटन निम्नलिखित संस्थानों/वर्गों को नहीं किया जायेगा:-
 - (क) वैसे महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सहयोग समितियाँ, पैक्स/लैम्पस, भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ जो दिवालिया, घोषित हो चुकी हों।
 - (ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दोषी करार दिये गये हों।
- (ii). एक परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य दुकान संचालक आवंटित नहीं की जायेगी। यहाँ परिवार से अभिप्रेत हैं व्यक्ति स्वयं, उसका/उसकी पति/पत्नी, उनके बच्चे।
- (iii). दाल मिल/आटा चक्की के मालिक/पेट्रोल पम्प संचालक एवं उसके परिवार जनों को उचित मूल्य दुकान संचालक आवंटित नहीं की जायेगी। यहाँ परिवार जनों से अभिप्रेत हैं व्यक्ति स्वयं, उसका/उसकी पति/पत्नी, उनके बच्चे।
- (iv). सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति अथवा वैसे समूह जिनके पदाधिकारी यथा अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष में से कोई भी सरकारी नौकरी में हो, उन्हें उचित मूल्य दुकान संचालक की अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि उन्हें अनुज्ञप्ति पूर्व से प्राप्त हो तो

उसे रद्द कर दिया जायेगा। यहां सरकारी नौकरी से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार/सरकारी उपकरण से किसी भी प्रकार की वेतन/मानदेय/एकमुश्त/पारिश्रमिक/दैनिक वेतनभोगी के रूप में मासिक राशि प्राप्त होता हो।

- (v). आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (केन्द्रीय अधिनियम की धारा-10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति या उससे संबंधित समूह को उचित मूल्य दुकान संचालक अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।

III. जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी -

- (क) समूह का निबंधन प्रमाण-पत्र,
- (ख) समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का आवासीय प्रमाण-पत्र,
- (ग) समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चरित्र प्रमाण-पत्र,
- (घ) समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का जन्म प्रमाण-पत्र,
- (ङ.) समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का शैक्षणिक प्रमाण-पत्र,
- (च) बैंक खाता,
- (छ) महिला स्वयं सहायता समूह की स्थिति में चक्रीय निधि प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।
- (ज) विकलांग व्यक्तियों का समूह होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता प्रमाण-पत्र,
- (झ) भूतपूर्व सैनिकों की समितियाँ होने की स्थिति में पेंशन प्रमाण-पत्र,
- (ञ) व्यापार स्थल के स्वामित्व से संबंधित राजस्व दस्तावेज या व्यापार स्थल किराया पर होने की स्थिति में कम-से-कम तीन वर्ष के लिए किरायानामा।
- (ट) लाभुक क्षेत्र के दो माह के लिए संभावित खाद्यान्न के पर्याप्त भण्डारण क्षमता का शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र।
- (ठ) उपर्युक्त अभिलेखों के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

10. जन वितरण प्रणाली दुकानों एवं किरासन तेल थोक विक्रेता का अनुज्ञापन तथा विनियमन: -

- (i). उचित मूल्य दुकान संचालक की रद्द अनुज्ञप्ति यदि अपील या पुनरीक्षण में हो और न्यायालय का आदेश स्थगन में हो तो ऐसी अनुज्ञप्ति की गणना रिक्त उचित मूल्य की दुकानों की सूची में नहीं की जायेगी।
- (ii). अनुज्ञापन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उचित मूल्य दुकान से सम्बद्ध राशन कार्डधारकों की संख्या युक्तियुक्त हो, उचित मूल्य दुकान इस प्रकार अवस्थित हो कि उपभोक्ता या राशन कार्डधारको को उचित मूल्य दुकान तक पहुँचने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े और पहाड़ी, जनजातीय और पहुँच के लिए ऐसे अन्य विकट क्षेत्र में उचित कवरेज प्रदान किया जाए। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी कार्डधारक को राशन प्राप्त करने हेतु साधारणतया 3 किलोमीटर एवं दुर्गम क्षेत्रों (पहाड़ी क्षेत्र जहाँ आवागमन का कोई रास्ता नहीं हो) में 2 किलोमीटर से अधिक यात्रा नहीं करना पड़े।

- (iii). वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य दुकान संचालक की अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्तिधारी से सम्बन्धित समस्त कार्यकलाप नियंत्रण आदेश के तहत नियंत्रित होंगे।
- (iv). लगभग 1500 (एक हजार पाँच सौ) जनसंख्या पर जन वितरण प्रणाली की एक अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा। विभाग द्वारा समय-समय पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। विभाग द्वारा राज्य एवं जिला के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जायेगी। तत्कालीन में जिलों के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों के लिए पोषक क्षेत्र निर्धारित किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में नयी दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु उपायुक्त स्तर से प्रस्ताव विभाग को भेजा जायेगा। विभाग के अनुमोदनोपरान्त नयी अनुज्ञप्ति हेतु प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से प्रारंभ की जायेगी। अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा एवं आवेदकों द्वारा विहित प्रपत्र-I में संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी को ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा।
- (v).
 - a. आवेदन प्रकाशित होने की अंतिम तिथि तक प्राप्त समस्त Online आवेदनों की अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा आवेदन प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के भीतर प्रारंभिक जाँच की जाएगी।
 - b. प्रारंभिक जाँचोपरांत नियमसंगत आवेदनों को स्थल निरीक्षण, दस्तावेज सत्यापन एवं ग्राम पंचायत/वार्ड समिति की अनुशंसा हेतु सक्षम पदाधिकारी को व्दसपदम प्रेषित कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना अन्य माध्यमों से भी सक्षम पदाधिकारी को दी जाएगी।
 - c. भौतिक स्थल निरीक्षण आवेदक एवं दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति हेतु Online एवं अन्य माध्यम से विधिवत सूचित किया जायेगा।
 - d. सक्षम पदाधिकारी के द्वारा भौतिक स्थल निरीक्षण एवं दस्तावेजों का सत्यापन करने के उपरांत सर्वश्रेष्ठ आवेदक के चयन हेतु ग्राम पंचायत/वार्ड समिति से आवेदन प्राप्ति के एक पक्ष के भीतर अनुशंसा प्राप्त करते हुए Online जांच प्रतिवेदन अनुज्ञापन पदाधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना अन्य माध्यमों से भी दी जाएगी।
 - e. ग्राम पंचायत/वार्ड समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में अनुशंसित आवेदक को अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा विहित प्राप्ति शीर्ष में एक सप्ताह के भीतर अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने हेतु व्दसपदम सूचना दी जाएगी, जिसकी सूचना अन्य माध्यमों से भी दी जाएगी।
 - f. यथा निर्धारित तिथि तक चयनित आवेदक द्वारा विहित प्राप्ति शीर्ष में अनुज्ञप्ति शुल्क Online जमा किये जाने के पश्चात् अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालक की Online अनुज्ञप्ति प्रपत्र-II (धारा-16 के अधीन) निर्गत की जायेगी।
 - g. Online आवेदन प्राप्त होने से लेकर आवेदन स्वीकृत होने तक यथासंभव Upload किये गये कागजात की जांच के लिए Hard Copy की मांग नहीं की जायेगी तथा सेवाओं को भी Online Mode में ही आवेदकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - h. Online आवेदन प्राप्त होने के उपरांत किसी भी कागजात के संबंध में स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अंदर मात्र एक बार में ही पूछा जायेगा।
 - i. Online आवेदनों के ससमय निस्तार की जवाबदेही संबंधित पदाधिकारियों की होगी। "सेवा का अधिकार अधिनियम" के तहत अधिसूचित सेवा समय सीमा (30 कार्य दिवस) के अंदर प्रदान कर दी जायेगी अथवा आवेदन को कारण सहित अस्वीकृत कर दिया जायेगा। नियत समय सीमा के तहत आवेदन पर निर्णय नहीं लेने की स्थिति में किसी

प्रतिकूल परिणाम परिलक्षित होने पर विलम्ब के लिए पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित पदाधिकारी की होगी।

- (vi). किरासन तेल थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु शुल्क ट्रेजरी चालान (JeGRAS) के माध्यम से जमा किए जाने के साक्ष्य के साथ आवेदन उपायुक्त को समर्पित किया जायेगा। उपायुक्त आवेदन की जाँच हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे, जिनकी अनुशंसा पर उपायुक्त के द्वारा अनुज्ञप्ति (प्रपत्र-VI) निर्गत की जायेगी।
- (vii). प्रत्येक अनुज्ञप्ति, निर्गत में वस्तु/वस्तुओं जिसका व्यापार किया जाना है, तथा, पोषक क्षेत्र, व्यापार स्थल जहाँ अनुज्ञप्तिधारक डीलर के रूप में कार्य करेगा, का स्पष्ट विवरण अंकित रहेगा।
- (viii). विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्तियों हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी एवं उनके अधिकार-क्षेत्र निम्नवत् होंगे:-

क्र° सं°	अनुज्ञप्ति का प्रकार	अनुज्ञापन पदाधिकारी	अधिकार क्षेत्र
1	उचित मूल्य की दुकान	संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (आपूर्ति)/ इन पदों पर संबंधित उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	जिला/क्षेत्र जिसके अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान संचालक संचालित किया जाना है।
2	किरासन तेल थोक विक्रेता	उपायुक्त	जिला, जिसके अन्तर्गत विक्रेता की नियुक्ति की जानी है।

- (ix). उचित मूल्य दुकान संचालक को इस आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी तथा वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- (x). राज्य सरकार उचित मूल्य दुकान संचालक के लिए कमीशन की रकम नियत करेगी जिसका आवश्यकतानुसार समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जा सकेगा।
- (xi). जन वितरण प्रणाली दुकानदार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किये जाने वाले वस्तुओं का व्यापार नहीं कर सकेगा। वैसी सामग्रियाँ जिनका संबंध जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत सरकार से प्राप्त होने वाली सामग्रियों से न हो, उसकी बिक्री जनवितरण प्रणाली दुकान पर की जा सकती है।
- (xii). राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित खाद्यान्नों से भिन्न अन्य वस्तुओं के विक्रय को उचित मूल्य दुकान संचालक की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अनुज्ञात करेगी।
- (xiii). अनुज्ञप्ति के द्वितीयक प्रति निर्गत करने हेतु आवेदक द्वारा विभागीय वेबसाइट <https://dlms.jharkhnad.gov.in> पर जाकर Registration के उपरांत Login करके संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी को Online आवेदन प्रेषित किया जाएगा।
- (xiv). प्रत्येक जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित प्रति जन वितरण दुकान राशन कार्डों की औसत संख्या के आधार पर सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में कार्डों की टैगिंग की जाए। किसी भी परिस्थिति में किसी भी दुकानदार के कार्डों की संख्या में 10 प्रतिशत से अधिक का विचलन नहीं होना चाहिए।
- (xv).
 - a. अनुज्ञप्ति निर्गमन के संबंध में आपत्ति/शिकायत की स्थिति में आवेदक द्वारा अपनी आपत्ति/शिकायत संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी के पास पन्द्रह दिनों के अंदर दर्ज की जाएगी। पन्द्रह दिनों के पश्चात् उनकी आपत्ति/शिकायत मान्य नहीं होगी।

- b. अनुज्ञापन पदाधिकारी के स्तर से आपत्ति का निस्तारण होने के उपरांत संबंधित आवेदक असंतुष्टि की स्थिति में इसके विरुद्ध उपायुक्त के समक्ष आपत्ति के निस्तारण की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं। पन्द्रह दिनों के पश्चात् उनकी अपील मान्य नहीं होगी।

11. अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति

- (क) विभागीय संकल्प संख्या-240, दिनांक 18.01.2017 के आलोक में मृत व्यक्तिगत जन वितरण प्रणाली दुकानदार के आश्रित बेरोजगार पति/पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री/विधवा बहु/विधवा पुत्री/परित्यक्ता पुत्री में से किसी एक को अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।
- (ख) मृत अविवाहित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के मामले में उनके आश्रित माता या पिता को अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी। मृत जन वितरण प्रणाली दुकानदार की मृत्यु से पूर्व उनके द्वारा विहित प्रक्रिया (हिन्दु एडाप्शन एण्ड मेंटेनेन्स एक्ट 1956) के प्रावधान के अनुसार से गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र/दत्तक अविवाहित पुत्री को भी अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।
- (ग) आश्रित आवेदक को जन वितरण प्रणाली दुकान खोलने के लिए कंडिका-10 (ii) के अन्तर्गत स्थल के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (घ) आश्रित आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- (ङ) महिला स्वयं सहायता समूह या अन्य किसी भी सामूहिक संगठन जिन्हें जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति प्राप्त है, को अनुज्ञप्ति के संबंध में अनुकम्पा का लाभ किसी भी परिस्थिति में अनुमान्य नहीं होगा।
- (च) अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों द्वारा मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के अंदर ऑनलाईन आवेदन करने पर अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।
- (छ) यदि आश्रित आवेदक द्वारा अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित करने का अनुरोध किया जाता है तो 30 (तीस) दिनों के अन्दर संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र (अन्य आश्रितों का), शपथ पत्र, वंशावली, आवास प्रमाण पत्र, स्थल प्रमाण पत्र की जाँच कर सही पाये जाने पर अनुज्ञप्ति प्रदान करेंगे।
- (ज) किसी परिवार में एकाधिक व्यक्तियों की दावेदारी होने पर उपरोक्त समयसीमा के अंदर परिवार के सदस्यों में सहमति होने पर ही अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी। अन्यथा अनुकम्पा का दावा रद्द हो जायेगा।
- (झ) झारखण्ड लक्षित जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 के लागू होने की तिथि से इस आदेश के लागू होने की तिथि के मध्य मृत जनवितरण प्रणाली दुकानदार के आश्रित को एकबारिग सुविधा के रूप में अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

12. अनुज्ञापन पदाधिकारी की शक्तियों का प्रत्यायोजन

- (i). नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को लागू कराने के साथ-साथ जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य के विक्रेता को अनुज्ञप्ति निर्गत/स्वीकृत करने, पहचान पत्र निर्गत करने, अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्तों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पालन कराने, अनुज्ञप्ति को निलंबित करने

खंडिका-20(xx), एवं अनुज्ञप्ति को रद्द करने की शक्ति अनुज्ञापन पदाधिकारी में निहित रहेंगी।

- (ii). अनुज्ञापन पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ किसी अन्य पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाएँगी। निरीक्षी पदाधिकारी (कंडिका-34(i) के अन्तर्गत परिभाषित) से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में केवल अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा ही उचित मूल्य दुकान संचालक के विक्रेता से कारण पृच्छा कर उचित कार्रवाई की जायेगी।

13. अनुज्ञप्ति की अवधि एवं प्रदेय शुल्क

- (i). इस आदेश के अन्तर्गत निर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति अगले आदेश तक के लिए वैध होगी।
- (ii). प्रत्येक अनुज्ञप्ति हेतु प्रदेय शुल्क (रूपये में) निम्नवत् होगा:-

क्र° सं°	अनुज्ञप्ति का प्रकार	जन वितरण प्रणाली विक्रेता	किरासन तेल थोक विक्रेता
1	नई अनुज्ञप्ति	5,000	10,000
2	द्वितीयक प्रति	2,000	4,000

- (iii). उपर्युक्त विनिर्दिष्ट शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से प्राप्ति शीर्ष (JeGRAS के माध्यम से) में सरकार के खाते में जमा किया जायेगा अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में समर्पित किया जायेगा।
- (iv). अनुज्ञप्ति के निलंबित [कंडिका-20(xx)] या रद्दीकरण अथवा त्याग-पत्र की स्थिति में अनुज्ञप्ति शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। यह राशि जब्त मानी जायेगी।

14. प्रतिभूति जमा

- (i). प्रत्येक आवेदन के द्वारा नई अनुज्ञप्ति के आवेदन के साथ अनुज्ञप्ति शुल्क के अलावा प्रतिभूति राशि जमा की जायेगी जिसकी अनुज्ञप्ति निम्नवत् है:-

क्र° सं°	अनुज्ञप्ति का प्रकार	प्रतिभूति राशि (रूपये)
1	उचित मूल्य की दुकान	10,000
2	किरासन तेल थोक विक्रेता	1,00,000

- (ii). उपर्युक्त राशि में विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकेगा। पूर्व में निर्गत अनुज्ञप्तियों पर उपर्युक्त कंडिका लागू नहीं होगी।
- (iii). प्रतिभूति राशि निम्न उपायों से जमा की जा सकती है;
- (क) अनुज्ञापन पदाधिकारी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से,
- (ख) लोक लेखा खाता में ट्रेजरी चालान (JeGRAS) के माध्यम से,
- (iv). अनुज्ञप्ति के निलंबित [कंडिका-20(xx)] या रद्दीकरण की स्थिति में प्रतिभूति राशि वापस नहीं किया जायेगा। यह राशि जब्त मानी जायेगी। अनुज्ञप्ति के त्याग-पत्र की स्थिति में प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा वापस कर दी जायेगी।

15. अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण

जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान संचालक की अनुज्ञप्ति सामान्य तौर पर हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थिति में जनवितरण प्रणाली दुकान अपने भरन-पोषण के लिए अनुज्ञप्ति हस्तांतरित कर सकेगा।

16. एकरारनामा

जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान संचालक के आवंटन के उपरान्त अनुज्ञप्तिधारक द्वारा में राज्य सरकार के साथ एकरारनामा किया जायेगा। एकरारनामा के उपरांत ही अनुज्ञप्तिधारक को प्रपत्र-11 में दुकान आवंटन आदेश एवं खाद्यान्न वितरण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

17. अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का पहचान पत्र

अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा सभी अनुज्ञप्तिधारी को आधार आधारित सत्यापन के उपरांत उचित पहचान पत्र परिशिष्ट-111 के अनुसार निर्गत किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहचान पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी अपना एक प्रतिनिधि नामित कर सकता है। इस हेतु प्रतिनिधि का पहचान पत्र परिशिष्ट-IV के अनुसार निर्गत किया जायेगा। सभी अनुज्ञप्तिधारी एवं प्रतिनिधि का प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में आधार आधारित सत्यापन सुनिश्चित कराया जायेगा एवं इसके उपरांत ही अगले माह हेतु आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा।

18. अनुज्ञप्ति में परिवर्तन

- (i). अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक वस्तुओं का भण्डारण अथवा अनुज्ञप्ति में वर्णित व्यापार स्थल से पोषक क्षेत्र के अन्तर्गत भिन्न स्थल पर व्यापार करना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में अनुज्ञापन पदाधिकारी को ऑनलाईन आवेदन देना होगा।
- (ii). अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर जाँचोपरांत अनुज्ञप्ति में अंकित पोषक क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन करने अथवा उसे अस्वीकृत करने के संबंध में ऑनलाईन आदेश देंगे तथा इसकी प्रविष्टि अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञापन एवं कार्यालय से संधारित अनुज्ञापन पंजी में की जायेगी।

19. उचित मूल्य दुकान संचालक के विक्रेताओं को देय कमीशन

राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान संचालक के विक्रेताओं को देय कमीशन का भुगतान आवश्यक वस्तुओं के उठाव/वितरण की समाप्ति के तीन माह के अन्दर कराने का दायित्व अनुज्ञापन पदाधिकारी का होगा।

अध्याय-IV

(अनुज्ञप्तिधारियों के उत्तरदायित्व)

20. उचित मूल्य दुकान की अनुज्ञप्ति धारकों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारकों के कर्तव्य निम्नलिखित उप कंडिका-(i) से (xv) तक में उल्लेखित है जिनका अनुपालन नहीं करने पर दुकान को विहित प्रक्रिया अपनाकर रद्द किया जा सकता है -

- (i). उचित मूल्य दुकान का संचालन आवंटित व्यक्ति/समूह के द्वारा किया जायेगा।
- (ii). राशन कार्डधारकों की हकदारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित खुदरा निर्गम मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का विक्रय किया जायेगा साथ ही विक्रेता लाभकों को वितरित की गई सामग्री का रसीद सुपुर्द करेगा।
- (iii). कोई राशन कार्डधारक, जो उचित मूल्य दुकान संचालक के मालिक के अभिलेखों से उद्धरण अभिप्राप्त करना चाहता है, दुकान संचालक को निर्धारित ₹0 10/- (दस) फीस एवं बाजार दर पर फोटो कॉपी की लागत जमा कर लिखित अनुरोध कर सकेगा। अनुरोध और विनिर्दिष्ट फीस प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर उचित मूल्य दुकान संचालक राशन कार्डधारक को ऐसे अभिलेख का उद्धरण प्रदान करेगा।
- (iv). दुकान के प्रमुख स्थान पर दैनिक आधार पर निम्नलिखित के सम्बंध में सूचना-पट्ट पर जानकारी संप्रदर्शन करना:-
 - (क) पूर्वविक्रता प्राप्त गृहस्थ एवं अंत्योदय लाभान्वितों की सूची
 - (ख) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की हकदारी
 - (ग) माह के दौरान प्राप्त आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक
 - (घ) आवश्यक वस्तुओं का आरंभिक और अंतिम स्टॉक
 - (ङ.) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की गुणवत्ता और मात्रा की बाबत शिकायतों के निपटान के लिए तंत्र सहित प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम
 - (च) टॉल-फ्री हेल्पलाइन न०;
- (v). राशन कार्डधारकों के पंजी, निर्गम एवं विक्रय पंजियों का रख रखाव करना;
- (vi). इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अभिलेखों यथा राशन कार्ड पंजी, भण्डार पंजी (प्रपत्र-IV), वितरण पंजी (प्रपत्र-V) इत्यादि को निरीक्षी पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में प्रस्तुत किया जायेगा;
- (vii). जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान संचालक के माध्यम से प्रदान किये जा रहे खाद्य पदार्थों के सैम्पल का संप्रदर्शन करना;
- (viii). निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन एवं वितरण से संबंधित पंजियों एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराना और ऐसी जानकारी प्रस्तुत किया जाना जो निरीक्षी पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा माँग की जायें;
- (ix). माह के अन्त के एक सप्ताह के अन्दर में आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक वितरण और अधिशेष स्टॉक का हिसाब मासिक प्रतिवेदन (प्रपत्र-VI) के माध्यम से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में दिया जाना और उसकी प्रति ग्राम पंचायत को दिया जाना;
- (x). सूचना- पट्ट पर संप्रदर्शित विहित समय के अनुसार उचित कीमत की दुकान को खोला जाना और बंद किया जाना। उचित मूल्य दुकान पर ई-पॉस मशीन का उपयोग करते हुए जन वितरण प्रणाली के सभी पारगमन संपन्न करना। सभी सामग्री उठावकर्ता को संबंधित रसीद उपलब्ध कराना।
- (xi). एक व्यक्ति द्वारा एक ही जन वितरण प्रणाली दुकान से दो या अधिक अलग-अलग राशन कार्ड से उठाव किये जाने की स्थिति में उसकी लिखित सूचना अनुज्ञापन पदाधिकारी को देना।
- (xii). ई-पॉस मशीन में खराबी/व्यवधान आने पर संबंधित संपर्क पदाधिकारी (पी०एम०यू०) को अविलंब सूचना देना। संपर्क पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचित करना।
- (xiii). प्रतिस्थापन/हेरा-फेरी/अपमिश्रण को रोके जाने के उद्देश्य से, आवंटिती संस्था को ऐसे भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्थापना एवं उनका नियमित संधारण करना होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(xiv). प्रत्येक उचित मूल्य दुकान की अनुज्ञप्ति धारक जो किसी बाट या माप का किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिए उपयोग कर रहा है, ऐसे बाट या माप को सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे किसी अन्य स्थान में, जिसे विधिक माप विज्ञान अधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, उस तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा जिसका सत्यापन अपेक्षित है।

(xv). उचित मूल्य दुकान अनुज्ञप्तिधारी ऐसा नहीं करेगा;

- (क) राशन कार्डधारकों को जन वितरण प्रणाली के अधीन भण्डार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं का उसकी हकदारी के अनुसार प्रदाय करने से इन्कार किया जाना।
- (ख) जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं को प्रदाय करने के पश्चात् राशन कार्ड संबंधित व्यक्ति को वापस नहीं करना।
- (ग) राशन कार्ड धारी को विक्रित की गई सामग्री को उचित मूल्य दुकान के परिसर में रखना।
- (घ) राशन कार्ड अथवा वितरण/स्टॉक/मिलान पंजी अथवा किसी अन्य आधिकारिक दस्तावेज में फर्जी अभ्युक्ति अंकित करना।
- (ङ.) जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करना अथवा खुले बाजार में बिक्री कर देना।
- (च) उचित मूल्य दुकान संचालक को किसी अप्राधिकृत व्यक्ति/संस्था को हस्तांतरित करना अथवा किराए पर देना।
- (छ) अनुज्ञापन पदाधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित पूर्वानुमति के बिना कार्यावधि के दौरान दुकान बन्द रखना।
- (ज) ई-पॉस का उपयोग किए बिना अथवा अपवाद पंजी के बिना स्वेच्छापूर्वक खाद्यान्न का वितरण करना।
- (झ) बिना सत्यापित एवं मुहरांकित माप-तौल उपकरणों के खाद्यान्न, किरासन तेल इत्यादि का वितरण करना।

(xvi). उचित मूल्य दुकान संचालक पर किरासन तेल वितरण से संबंधित प्रावधान;

- (क) उचित संख्या में तेल के ड्रम की व्यवस्था करना।
- (ख) तेल के ड्रम को पीला रंग से रंगना एवं ड्रम पर डीलर का नाम एवं लाईसेंस संख्या काले रंग से अंकित करना।
- (ग) तेल के ड्रम को आर.सी.सी. छतयुक्त पक्का मकान में रखना एवं अग्नि सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध करना यथा-दुकान के अंदर अग्निशामक यंत्र अथवा बाल्टी में बालू भर कर दुकान के बाहर टांगना आदि।

(xvii). उचित मूल्य दुकान संचालक संचालन हेतु अन्य प्रावधान;

- (क) उचित मूल्य की दुकानों का रंग गुलाबी होगा;
- (ख) अनुज्ञप्ति में वर्णित कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा;
- (ग) सूचना-पट्ट परिशिष्ट-I के अनुसार रखा जायेगा;
- (घ) मूल्य एवं भण्डार प्रदर्शन-पट्ट परिशिष्ट-II के अनुसार प्रदर्शित किया जायेगा;
- (ङ.) परिशिष्ट-III के अनुसार निर्गत पहचान पत्र रखा जायेगा;
- (च) माप-तौल उपकरणों का सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रदर्शित किया जायेगा;

(xviii). निम्नांकित स्थिति में भी अनुज्ञप्तिधारी की दुकान रद्द की जा सकती है:

- (क) यदि निर्धारित समय (निर्धारित अवकाश छोड़कर) पर पूरा माह दुकान खुली नहीं रखते हों।
 - (ख) लक्षित उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न आदि उपलब्ध नहीं कराते हों और यदि निर्धारित दर से अधिक दर पर या कम मात्रा में खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराते हों।
 - (ग) लक्षित परिवारों का राशन कार्ड अपने पास रखते हों।
 - (घ) राशन कार्ड में बिना खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराये गलत प्रविष्टि करते हों।
 - (ङ) जन वितरण प्रणाली के दुकानदार यदि कालाबाजारी में लिप्त रहते हो तथा खाद्यान्न आदि को खुले बाजार में बेचते हों।
 - (च) अपना राशन दुकान दूसरे व्यक्ति/संस्था के माध्यम से चलवाते हों।
 - (छ) यदि ई-पॉस मशीन सहित राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य मशीनों (यथा डिजिटल तौल मशीन) को जान बूझकर नुकसान पहुँचाते हों अथवा स्वेच्छाचारिता से उन मशीनों के उपयोग के बिना खाद्यान्न का वितरण करते हों।
 - (ज) यदि दुकानों द्वारा अपने ऑफलाईन वितरण या अपवाद पंजी से हुये वितरण का अगले माह के प्रथम सात कार्यदिवस के अन्दर ऑनलाईन इण्ट्री नहीं कराया जा रहा हो।
 - (झ) यदि दुकानदार द्वारा अपने वितरण क्षेत्र के मृत कार्डधारी, विस्थापित कार्डधारी या वैसे कार्डधारी जो कि अपवर्जन मानकों के अधीन आ गये हो, की सूचना कार्यालय को नहीं दी जा रही हो।
 - (ञ) लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के वितरण और हथालन में लगा हुआ हो और राशन कार्डधारकों हेतु आपूरित स्टॉक का हेरा-फेरी, प्रतिस्थापन उसमें मिलावट करने या किसी प्रक्रम पर उसकी चोरी कर रहा हो।
- (xix). यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण आदेश के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्तों, कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों तथा राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके स्पष्टीकरण से असंतुष्ट रहने पर अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन पदाधिकारी लिखित आदेश द्वारा रद्द कर सकता है।
- (xx). यदि उचित मूल्य दुकान संचालक के विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी आदेश के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो न्यायालय से जब तक जमानत प्राप्त नहीं होगा, तब तक विक्रेता की अनुज्ञप्ति निलंबित रहेंगी। यदि वह न्यायालय द्वारा दोषषिद्ध हो जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी।
- (xxi). अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलंबित करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी से कारण पृच्छा करना आवश्यक है। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के विरूद्ध अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर दिया जायेगा।
- (xxii). अनुज्ञप्ति के निलंबन अथवा रद्द होने की स्थिति में खाद्यान्न का आवंटन बंद कर निकटतम उचित मूल्य दुकान संचालक के साथ संबंधित विक्रेता के आवंटन को संबद्ध किया जायेगा।
- (xxiii). अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति निलंबन [कंडिका-20(xx)] के पश्चात अनुभाजन क्षेत्र में अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (आपूर्ति) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा निलंबित दुकानों को निकटतम उचित मूल्य दुकान संचालक के विक्रेता के दुकान के साथ उपभोक्ताओं को संबद्ध किया जायेगा।
- (xxiv). उचित मूल्य दुकान संचालक के साथ संबद्ध क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के उपभोक्ता यथा पूर्वविक्रता प्राप्त गृहस्थ परिवार, अन्त्योदय परिवार एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा से आच्छादित परिवारों को उसी विक्रेता के दुकान के साथ संबद्ध किया जायेगा।
- (xxv). सामान्य परिस्थिति में दुकान से उपभोक्ताओं की सम्बद्धता में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो अनुज्ञापन पदाधिकारी पदाधिकारी द्वारा सकारण आदेश निर्गत किया जायेगा एवं तत्संबंधी को इसकी सूचना दी जायेगी।
- (xxvi). अनुज्ञप्ति निलंबन [कंडिका-20(xx)] के पूर्व संबंधित विक्रेता से कारणपृच्छा करना होगा एवं उसे स्पष्टीकरण देने का यथोचित मौका दिया जायेगा।

21. जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान संचालक की कार्य अवधि, अवकाश एवं उचित मूल्य के दुकान का आकार

- (i). जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान संचालक नेगोशिएबल इन्सट्रुमेंट ऐक्ट 1881 के अंतर्गत घोषित अवकाश एवं साप्ताहिक बंदी को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रातः 8 बजे से 2 बजे अपराह्न तक खुली रहेगी। लक्षित जन वितरण प्रणाली द्वारा किसी भी परिस्थिति में प्रातः 07.00 बजे से पूर्व एवं अपराह्न 06.00 बजे के उपरान्त सरकार द्वारा प्रदत्त खाद्यान्न/नमक/चीनी/किरासन तेल/अन्य सामग्रियों का वितरण नहीं किया जायेगा। जन वितरण प्रणाली के खुलने तथा बन्द करने का समय यथावश्यक उपायुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा। दुकान कार्य दिवस में कम से कम 6 घंटे के लिए खुली रहेंगी। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए सुबह और शाम को निर्धारित समय में भी दुकान खोली जा सकेगी।
- (ii). अपरिहार्य कारणों से यदि उचित मूल्य दुकान संचालक के विक्रेता एक सीमित अवधि के लिए दुकान संचालन में असमर्थ हो तो उसके द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी को आवेदन पत्र देना होगा, जिनके द्वारा इसकी सूचना अनुज्ञापन पदाधिकारी को दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के उपरांत ही उक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता को उक्त अवधि के लिए दुकान बंद रखने की अनुमति प्रदान की जायेगी। एक वर्ष में एक बार में अवकाश की अधिकतम अवधि 30 दिनों की होगी।
- (iii). जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान संचालक का न्यूनतम आकार इस प्रकार का होगा जिससे कम से कम दो माह की आवश्यकता के बराबर खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं का भण्डारण किया जा सके।
- (iv). उचित मूल्य दुकान संचालक के सामने इतना खुला स्थान अवश्य होना चाहिए जिसमें पंक्तिवद्ध होकर महिला एवं पुरुष राशन कार्डधारक आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त कर सकें।

22. किरासन तेल थोक विक्रेता के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

- (i). किरासन तेल थोक विक्रेता के निम्नांकित कर्तव्य होंगे;
 - (क) तेल कम्पनी से जन वितरण प्रणाली में वितरण हेतु आवंटन माह का किरासन तेल प्राप्त कर विनिर्दिष्ट स्थल पर रखना।
 - (ख) उचित मूल्य की दुकानों की मांग के फौरन बाद अथवा जिला प्रशासन के निदेशानुसार पंचायत मुख्यालय स्तर पर किरासन तेल उपलब्ध कराना यवशर्तें इन उचित मूल्य के संचालकों द्वारा किरासन तेल के उचित मूल्य का भुगतान कर दिया गया हो एवं मिलान पंजी में आवश्यक प्रविष्टि कर ली गई हो।
 - (ग) राज्य सरकार/अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित पंजी एवं अभिलेख संधारित करना।
 - (घ) निरीक्षी पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन एवं वितरण से संबंधित पंजियों एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराना और ऐसी जानकारी प्रस्तुत किया जाना जो निरीक्षी पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा माँग की जाय।
 - (ङ.) राज्य सरकार/अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अभिप्रमाणित बाट एवं माप रखना।
 - (च) व्यापार स्थल पर प्रवेश द्वार के निकट किसी प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर निम्नांकित सूचनाएँ प्रदर्शित करना;
 - (a) दुकान खुलने की अवधि (10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक)

- (b) दुकान बंदी का दिन (साप्ताहिक एक दिन)
 - (c) दैनिक आधार पर आरंभिक स्टॉक, प्राप्त मात्रा, विक्रय की मात्रा एवं अंतिम स्टॉक
 - (d) किरासन तेल का निर्गम मूल्य
 - (e) विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या
- (छ) राज्य सरकार/अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा निर्धारित विधि से लेखा संधारण करना एवं निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर प्रस्तुत करना।
- (ज) डिमाण्ड ड्राफ्ट, चेक अथवा एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किरासन तेल का मूल्य प्राप्त होने के पश्चात् उचित मूल्य दुकान संचालक को क्रमबद्ध तरीके से संधारित कैश मेमो प्रदान करना।
- (झ) जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान संचालक के माध्यम से प्रदान किये जा रहे किरासन तेल के सैम्पल का संप्रदर्शन करना।
- (ञ) तेल कम्पनियों द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवस्था के अंतर्गत, वैज्ञानिक विधि से किरासन का भंडारण करना।

(ii). किरासन तेल थोक विक्रेता ऐसा नहीं करेगा;

- (क) व्यापार अवधि में बिना अनुज्ञापन प्राधिकार अथवा प्राधिकृत व्यक्ति के पुर्वानुमति के व्यापार परिसर को बंद रखना।
- (ख) अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट व्यक्ति/संख्या के अतिरिक्त किसी अन्य को किरासन की बिक्री करना।
- (ग) अनुज्ञप्ति में निर्धारित स्थल अथवा जिला प्रशासन द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थल पर किरासन तेल भंडारित करना।
- (घ) उचित मूल्य दुकान संचालक की मिलान पंजी अपने पास रखना।
- (ङ.) अनुज्ञप्ति प्रदत्त व्यापार स्थल अथवा जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदत्त स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थल पर व्यापार से संबंधित अभिलेख रखना।

अध्याय-V

(आवंटन, उठाव, संग्रहण परिवहन एवं वितरण)

23. आवंटन, उठाव, संग्रहण एवं परिवहन

- (i) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्नों को दूसरे कार्य के लिए विचलित नहीं किया जायेगा।
- (ii) केन्द्र सरकार से खाद्यान्नों का आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा जिलावार खाद्यान्नों का उप आवंटन निर्गत किया जायेगा तथा आवंटन माह के पूर्ववर्ती माह के दौरान निगम ससमय भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न उठाव कर अपने गोदामों में संग्रहित करेगा। खाद्यान्न उठाने की अंतिम तिथि भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि होगी। आवश्यकतानुसार राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उचित मूल्य दुकान संचालक तक सीधे खाद्यान्नों का परिवहन कर सकेगी।
- (iii) जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त/जिला आपूर्ति पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानों को खाद्यान्न का आवंटन दुकानवार किया जायेगा। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को खाद्यान्न का उपावंटन करते समय पिछले माह के अवितरित खाद्यान्न का भी हिसाब रखा जायेगा।
- (iv) निगम अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न का उठाव भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से करेगा एवं खाद्यान्न इत्यादि की गुणवत्ता निगम के गोदामों में भी बरकरार रखी जायगी।

- (v) डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत उपायुक्त/जिला आपूर्ति पदाधिकारी अथवा निगम द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, उसके द्वारा भारतीय खाद्य निगम/निगम के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कर उसे जन वितरण प्रणाली की दुकान पर भेजने की व्यवस्था आवंटित माह की पहली तारीख के पूर्व सुनिश्चित करेंगे।
- (vi) जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त सुनिश्चित करेंगे कि निगम द्वारा उठाव किये गये खाद्यान्न की सम्पूर्ण मात्रा विभिन्न प्रखण्डों में अवस्थित निगम के गोदामों में पहुँचाने के पश्चात् डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से जिले के संबंधित प्रखण्ड के उपावटन सूची के अनुसार खाद्यान्न की शत प्रतिशत मात्रा जन वितरण प्रणाली की दुकान में पहुँचा दिया गया हो। दुकान को माह के आवंटन के अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति एकमुश्त की जायगी।
- (vii) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी की माह के दौरान उचित मूल्य दुकान संचालक को आवंटित खाद्यान्नों के स्टॉक को प्रदर्शित करने वाला आदेश राज्य के वेब पोर्टल सहित पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित किया जाए।

24. वितरण

- (i) आवंटित संस्था द्वारा राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री उस मात्रा एवं अनुपात में तथा उस रीति से वितरण किया जाएगा, जैसा कि विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए।
- (ii) उचित मूल्य दुकान से पात्र राशनकार्डधारियों को यथा अवधारित दरों पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया जाएगा।
- (iii) उचित मूल्य दुकान का विक्रेता राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण यथासंभव माह की 1 ली तारीख से प्रारंभ करेगा:
परन्तु जब किसी कारणवश ऐसा करना संभव न हो तो विक्रेता उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति के सदस्यों को कारणों सहित वितरण प्रारंभ करने की तारीख संसूचित करेगा।
- (iv) उचित मूल्य दुकान संचालक को प्रदाय किये गये समस्त उपकरणों के समुचित रख-रखाव (Maintenance) के लिए आवंटित संस्था उत्तरदायी होगी, किन्तु सुरक्षा (यथा-चोरी, आगजनी आदि) के लिए संबंधित दुकान संचालक उत्तरदायी होंगे।
- (v) उचित मूल्य दुकान का विक्रेता वितरण के समय राशन कार्ड धारियों से उसकी पहचान हेतु राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तावेज या जीवमितीय (बायोमेट्रिक) की मांग कर सकेगा।
- (vi) यदि राशन कार्डधारक किसी विशिष्ट माह के दौरान उस माह की पात्रतानुसार सामग्री (वितरण की निर्धारित तिथि तक) का क्रय नहीं करता है तो वह ऐसी शेष सामग्री अगले माह प्राप्त कर सकेगा। कार्डधारक उसकी निर्धारित पात्रता की सामग्री को एकमुश्त अथवा किशतों में प्राप्त कर सकेगा।
- (vii) किसी व्यक्ति के पास राशन कार्ड होने के उपरान्त ही उसे खाद्यान्न आदि उठाव करने की अनुमति प्रदान होगी परन्तु राशन कार्ड होने मात्र से ही उसे खाद्यान्न आदि प्राप्ति का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उसका नाम ई-पॉस मशीन में भी होना चाहिए।
- (viii) उचित मूल्य दुकानदार कोई ऐसी सामग्री का वितरण नहीं करेगा जिसकी गुणवत्ता भण्डारण अथवा अन्य किसी कारण से मानव उपयोग के लिए सुरक्षित न रह गई हो।
- (ix) उचित मूल्य दुकान का विक्रेता संबंधित राशन कार्ड धारियों/गृहस्थी के सदस्यों के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यक वस्तुएं प्रदान नहीं करेगा:

परन्तु यदि कोई कार्ड धारक और उसके गृहस्थी के सभी वयस्क सदस्य 60 वर्ष से अधिक आयु या निःशक्त है उसकी पात्रता का खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री कार्डधारक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिया जा सकेगा। उचित मूल्य दुकान का विक्रेता ऐसे समस्त संव्यवहार वितरण का पृथक से अभिलेख संधारित करेगा।

- (x) उचित मूल्य दुकान/तेल कंपनी/थोक व्यापारी तथा उनका प्राधिकृत परिवहनकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किये जाने वाले नीले किरासन तेल का परिवहन, भण्डारण या विक्रय नहीं करेगा।
- (xi) विभाग द्वारा किसी चिन्हित वर्ग/श्रेणी के लाभुकों के लिये खाद्यान्न आदि के होम डिलिवरी की व्यवस्था की जा सकती है।

25. राज्य स्तरीय एवं डोर-स्टेप डिलिवरी में प्रयुक्त परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

- (i) यह कि इस आदेश में अन्यथा प्रदान किए जाने के अतिरिक्त सभी परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ताय
 - (क) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा चावल, गेहूँ, नमक, चीनी, दाल इत्यादि वस्तुएँ नियमित गुणवत्ता एवं मात्रा में प्राप्ति स्थल से प्राप्त किए जाएँ एवं गुणवत्ता तथा मात्रा में बिना हास हुए सुपुर्दगी स्थल पर हस्तगत करा दें। हास की स्थिति में हास की अधिसीमा तक प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता उत्तरदायी होंगे।
 - (ख) बिना किसी विलंब के वितरण हेतु हस्तगत आवश्यक वस्तुओं का संपूर्ण प्रभार लेंगे एवं परिवहन करेंगे। यदि अपरिहार्य कारणों से गाड़ी खड़ा रखने की आवश्यकता होती है तो निगम अथवा जिला प्रशासन को इसकी सूचना देंगे।
 - (ग) राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न के परिवहन कार्य में प्रयुक्त सभी वाहनों में अधिष्ठापित जी.पी.एस. मार्गन यंत्र के रख-रखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी निभाएँगे।
 - (घ) प्राप्त भंडार के सुरक्षित परिवहन की समुचित व्यवस्था करेंगे एवं परिवहन के क्रम में किसी हास अथवा क्षति हेतु पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
 - (ङ.) किसी भी हालत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने व्यापार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित अथवा पट्टे/किराये पर नहीं देंगे।
 - (च) चालक, खलासी, मैनेजर, लिपिक इत्यादि सभी कर्मचारियों को फोटो-युक्त पहचान पत्र प्रदान करेंगे।
 - (छ) परिवहन विभाग, श्रम विभाग सहित अन्य वैधानिक प्राधिकार के नियमों, प्रावधानों एवं आदेशों का पालन करेंगे।
 - (ज) जन वितरण प्रणाली की सामग्रियों के परिवहन एवं हथालन से संबंधित पूर्ण एवं त्रुटिहीन लेखा संधारित करेंगे। साथ ही राज्य सरकार एवं निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित पंजी एवं रिटर्न संधारित करेंगे।
 - (झ) निगम/संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ हस्ताक्षरित एकरारनामा की शर्तों के अनुपालन सख्ती से करने हेतु उत्तरदायी होंगे।
 - (ञ) जन वितरण प्रणाली सामग्रियों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को अपने लागत पर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट रंग में पेंट कराएँगे एवं निर्धारित रंग एवं आकार में वाहनों पर सूचना अंकित करेंगे।
 - (त) राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा परिवहन तथा हथालन के उचित प्रबंधन हेतु समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करेंगे।

(ii) राज्य-स्तरीय परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता;

- (क) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
- (ख) माह में आवंटित जन वितरण प्रणाली सामग्रियों की पूरी मात्रा प्रति माह भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित विनिर्दिष्ट गोदाम से प्राप्त कर झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विनिर्दिष्ट गोदामों तक समान मात्रा एवं गुणवत्ता में समय-सीमा के अंतर्गत गोदाम प्रभारी को हस्तगत कराएंगे।
- (ग) भारतीय खाद्य निगम से गेट पास एवं झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के उठाव प्रभारी से चालान (दो प्रतियों में) की प्रति प्राप्त करेंगे एवं डिलिवरी के उपरांत चालान की मूल प्रति पर गोदाम प्रभारी की पावती प्राप्त करेंगे।
- (घ) परिवहन से संबंधित निम्न सूचनाओं का संधारण करेंगे,
 - (i) सामग्री प्राप्ति एवं डिलिवरी की तिथि एवं समय
 - (ii) गोदाम जहाँ डिलीवर किया गया
 - (iii) आवंटन माह
 - (iv) बोरो की संख्या एवं कुल वजन
 - (v) उठाव हेतु अवशेष मात्रा
 - (vi) वाहन का निबंधन संख्या
 - (vii) वाहन चालक का नाम एवं मोबाईल संख्या

(iii) डोर स्टेप डिलिवरी अभिकर्ता;

- क) निदेशालय/निगम/उपायुक्त द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
- (ख) माह में आवंटित जन वितरण प्रणाली सामग्रियों की पूरी मात्रा प्रति माह झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विनिर्दिष्ट गोदाम से प्राप्त कर आवंटित उचित मूल्य दुकान संचालक तक समान मात्रा एवं गुणवत्ता में समय-सीमा के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान के अनुज्ञप्तिधारी को हस्तगत कराएंगे।
- (ग) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम प्रभारी से चालान (दो प्रतियों में) प्राप्त करेंगे एवं डिलिवरी के उपरांत चालान की मूल प्रति पर अनुज्ञप्तिधारी की पावती प्राप्त करेंगे एवं दूसरी प्रति अनुज्ञप्तिधारी को हस्तगत कराएंगे।
- (घ) परिवहन से संबंधित निम्न सूचनाओं का संधारण करेंगे,
 - (i) सामग्री प्राप्ति एवं डिलिवरी की तिथि एवं समय
 - (ii) दुकान जहाँ डिलीवर किया गया
 - (iii) आवंटन माह
 - (iv) बोरो की संख्या एवं कुल वजन
 - (v) उठाव हेतु अवशेष मात्रा
 - (vi) वाहन का निबंधन संख्या
 - (vii) वाहन चालक का नाम एवं मोबाईल संख्या
 - (viii) मिलान पंजी

अध्याय-VI

(शर्तों का उल्लंघन)

26. जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वस्तुओं का व्यपवर्तन एवं प्रतिस्थापन

- (i) कोई प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त कोई व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के वितरण और हथालन में लगा हुआ है, राशन कार्डधारकों हेतु आपूरित स्टॉक का हेरा-फेरी, प्रतिस्थापन उसमें मिलावट करने या किसी प्रक्रम पर उसकी चोरी करने में नहीं लगेगा।

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रायोजनों के लिए-

- (क) “हेरा-फेरी” से अभिप्रेत है लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन गोदाम से निर्गमित आवश्यक वस्तुओं का विनिर्दिष्ट लाभुकों से भिन्न/व्यक्तियों/स्थानों को अनाधिकृत वितरण/परिवहन।
- (ख) “प्रतिस्थापन” से अभिप्रेत है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभुकों को वितरण हेतु प्राप्त आवश्यक वस्तुओं को निम्न गुणवत्ता श्रेणी की सदृश आवश्यक वस्तुओं से स्थानापन्न करना।

27. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोष सिद्धियों का परिणाम

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (केंद्रीय अधिनियम की धारा-10) के धारा-3 के अधीन किये गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण न्यायालय द्वारा किसी अनुज्ञप्तिधारी को सिद्ध दोषी ठहरा दिये जाने पर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा लिखित आदेश द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी।

28. दण्ड

- (i) एकरारनामा अथवा आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन की स्थिति में उचित मूल्य दुकान संचालक की अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित कार्रवाई कर निलंबित अथवा रद्द करते हुए जमा प्रतिभूति की राशि जब्त की जा सकेगी:-
- (क) अनुज्ञापन पदाधिकारी संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालक के दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किये बिना अनुज्ञप्ति तब तक रद्द नहीं कर सकता है जब तक कि उचित मूल्य दुकान संचालक को लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो।
- (ख) युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञापन पदाधिकारी कारण सहित आदेश पारित कर अनुज्ञप्ति को निलंबित [कंडिका-20(xx)] कर सकेगा। अनुज्ञापन पदाधिकारी उचित मूल्य दुकान संचालक की अनुज्ञप्ति के विरुद्ध लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण में अनियमितता संबंधित शिकायत/ परिवाद प्राप्त होने पर दुकान संचालक को युक्तियुक्त अवसर देते हुए तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए दस दिनों के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम आदेश तीन मास के भीतर पारित किया जाए।
- (ii) यदि यह पाया जाता है कि उचित मूल्य के दुकानधारक द्वारा किसी ऐसे अपात्र व्यक्ति को खाद्यान्न वितरित कर दिया गया है या खाद्यान्न उपयोगित किया गया है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं हो एवं ई-पॉस मशीन में नाम दर्ज नहीं हो, तो उसका मूल्य जिम्मेवार विक्रेता से वसूल कर लिया जायेगा।

- (iii) यदि कोई उचित मूल्य दुकान संचालक/संस्था/वर्ग अपने प्रबंधक, विक्रेता या कोई अन्य व्यक्ति के माध्यम से इस आदेश या केन्द्रीय आदेश की शर्तों या राज्य सरकार/आयुक्त/उपायुक्त/अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जारी किये गए किसी निर्देश का उल्लंघन करता है, तो सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड (ii) के अनुसार कार्रवाई करेगा और जमा प्रतिभूति की राशि को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर लेगा।
- (iv) कालाबाजारी एवं अन्य गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- (v) जन वितरण प्रणाली दुकानदार या डोर स्टेप डिलिवरी अभिकर्ता के द्वारा कम सामग्री उपलब्ध कराने पर प्रति किलोग्राम 100 रुपये की दर से संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जांचोपरान्त दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।

29. शास्ति

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (केन्द्रीय अधिनियम की धारा-10) की धारा-7 के अधीन दण्ड का दायी होगा।

30. अपील

- (i) जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान संचालक हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी अनुज्ञप्ति जारी करने अथवा अनुज्ञप्ति के रद्दीकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति नियंत्रण आदेश के अंतर्गत प्राधिकृत अपीलीय पदाधिकारी (उपायुक्त) के समक्ष उक्त आदेश की प्राप्ति के तारीख से 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है और अपीलीय पदाधिकारी उक्त अपील का निपटारा 60 दिन की अवधि के भीतर करेगा। इसके विरुद्ध प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर किया जा सकता है।
- (ii) जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत किरासन तेल के थोक विक्रेता हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी अनुज्ञप्ति जारी करने अथवा अनुज्ञप्ति के रद्दीकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति नियंत्रण आदेश के अंतर्गत प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष उक्त आदेश की प्राप्ति के तारीख से 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है और अपीलीय पदाधिकारी उक्त अपील का निपटारा 60 दिन की अवधि के भीतर करेगा।
- (iii) ऐसे किसी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।
- (iv) अपील के निपटारे के लंबित रहने के दौरान अपीलीय पदाधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश ऐसी अवधि तक तथा जिसे कंडिका (iii) के अधीन उक्त प्राधिकारी अन्य पक्षकार को युक्तियुक्त अवसर देने के लिए आवश्यक समझें या अपील के निपटारे तक जो पूर्वतर हो, प्रभावी नहीं होगा।
- (v) अपीलीय पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकानदार/किरासन तेल थोक विक्रेता के विरुद्ध अनुज्ञप्ति के निलंबन [कंडिका-20(xx)]/रद्दीकरण आदेश अथवा अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्दीकरण से मुक्त करने हेतु तर्कसंगत आदेश पारित किया जायेगा।

31. अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्द होने के पश्चात् आवश्यक वस्तुओं का व्ययन

नियंत्रण आदेश के अधीन जारी की गयी अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबित [कंडिका-20(xx)] होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी से संबद्ध उपभोक्ताओं का यथासंभव online नजदीकी दुकान से संबद्ध किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध खाद्यान्न /आवश्यक वस्तुओं का भण्डार, अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबन आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी की देख-रेख में संबंधित दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित दर एवं मात्रा के अनुसार वितरित कर प्राप्त राशि वितरण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी को वापस कर दी जायेगी।

अध्याय-VII

(अनुश्रवण)

32. जन वितरण प्रणाली के कार्यों का अनुश्रवण

- (i) विभाग उचित मूल्य दुकानों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन मास में एक बार से अन्यून नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेगा। राज्य सरकार निरीक्षण अनुसूची, जाँच के बिन्दुओं की सूची और उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी करेगा। "जाँच करने वाले सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-IX में जन वितरण प्रणाली दुकानों का अनुश्रवण/निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।
- (ii) विभाग सुनिश्चित करेगा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का स्टॉक, जैसा की निगम के गोदामों से जारी किया जाता है, के भण्डारण, परिवहन या किसी अन्य प्रक्रम पर, जब तक की राशन कार्डधारक को उसका परिदान नहीं कर दिया जाता है, बदला या उससे छेड़छाड़ नहीं किया जायगा।
- (iii) विभाग राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित मूल्य दुकान संचालक के स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट कृत्यों को करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सतर्कता समितियां स्थापित करेगा।
- (iv) सतर्कता समितियों की बैठकें सभी स्तरों पर प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार आयोजित की जायेगी और बैठकों की तारीख और अवधि की जानकारी सभी को प्रदान की जायेगी।
- (v) सतर्कता समितियों द्वारा की जाने वाली बैठक में विचार-विमर्श किये गये मुद्दों पर की गई कार्रवाई की अगली बैठक में समीक्षा की जायेगी।
- (vi) विभाग एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र अधिसूचित करेगी जिसके अंतर्गत टोल फ्री काँल सेंटर और राज्य वेब पोर्टल का उपयोग भी है।
- (vii) विभाग शिकायत निवारण अधिकारी के अद्यतन ब्योरो का व्यापक प्रचार करेगी जैसे कि नाम, टेलीफोन न0/मोबाईल न0 एवं शिकायत निवारण तंत्र के कार्यालय का पता भी शामिल होगा।
- (viii) विभाग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र लाभुको के बीच खाद्यान्नों के वितरण से संबन्धित विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निवारण करने के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।
- (ix) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16 के अधीन अपील राज्य खाद्य आयोग के समक्ष की जायेगी एवं अपील की समय सीमा अंकित करना होगा।
- (x) विभाग, शिकायतों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के उपबन्ध 7 के प्रारूप में त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- (xi) विभाग विधि के अधीन प्रदर्शित नागरिक चार्टर या केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदर्श नागरिक चार्टर के आधार पर इसे जारी और अंगीकार करेगी।
- (xii) विभाग राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के कार्यकरण के संबन्ध में विभिन्न स्तरों पर आवधिक रिपोर्टिंग की एक प्रणाली विहित करेगी, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मंच भी है।

- (xiii) विभाग इलेक्ट्रॉनिक मंच के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रचालनों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगी।

स्पष्टीकरण:- इस उपखण्ड के प्रयोजन के लिए “एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रचालन” में लाभुकों, राशनकार्ड और अन्य डाटा बेसों का डिजिटाइजेशन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल की स्थापना, शिकायत निवारण तंत्र और उचित मूल्य दुकान के स्वचालन से सम्बन्धित क्रियाकलाप शामिल हैं।

- (xiv) विभाग राशन कार्डधारकों को उनके अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के बारे में इलेक्ट्रॉनिकी और प्रिंट माध्यमों के साथ उचित मूल्य दुकानों के बाहर प्रदर्शन बोर्डों के माध्यम से शिक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।
- (xv) किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान के विरुद्ध जांच उसी शिकायत पत्र/अभ्यावेदन पर किया जायेगा जो कि उसके वितरण क्षेत्र के कार्डधारी या निर्वाचित जनप्रतिनिधि के द्वारा किया गया हो। इस आदेश के अंतर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी बिना किसी शिकायत पत्र के भी जांच कर सकते हैं।

33. पारदर्शिता और जवाबदेही-

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित सभी अभिलेखों को सार्वजनिक डोमेन में रखा जायेगा और उन्हें विभाग द्वारा यथाविहित रीति में सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुला रखा जायेगा।

अध्याय-VIII

(प्रकीर्ण)

34. प्रवेश, तलाशी एवं अभिग्रहण की शक्ति

- (i) निम्नलिखित पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्राधिकार में उचित मूल्य दुकान संचालक या किसी परिसर में, जो उचित मूल्य दुकान के कारोबार से संबंधित हो, प्रविष्टि, निरीक्षण, जाँच, तलाशी एवं अभिग्रहण करने के लिए इस आदेश के अधीन प्राधिकृत होंगे:-

भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/विभाग या प्रमण्डलीय आयुक्त या उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी।

- (ii) प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों की जाँच या माँग कर सकेगा जो उसके द्वारा जाँच के लिए आवश्यक समझे जाएँ और वह अपने समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों या दस्तावेजों से उद्धरण या प्रतियाँ ले सकेगा।
- (iii) प्राधिकृत पदाधिकारी को कोई परिवाद के प्राप्त करने पर या अन्यथा यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश या केन्द्र के “लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 एवं समय-समय पर संशोधित” के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इन आदेशों का अनुपालन करने की दृष्टि से वह उचित मूल्य दुकान संचालक या किसी परिसर में, जो उचित मूल्य दुकान संचालक के कारोबार के संव्यवहार से संबंधित है, में प्रविष्ट हो सकेगा, उनकी जाँच या तलाशी कर सकेगा।

- (iv) प्राधिकृत पदाधिकारी खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं की लेखाओं या स्टॉक की ऐसी लेखा बहियों की तलाशी अभिग्रहण कर सकेगा या उन्हें हटा सकेगा, जहाँ ऐसे प्राधिकारी को विश्वास करने का कारण हो कि इनका उपयोग “लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 एवं समय-समय पर संशोधित” अथवा इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन में किया जा रहा है या किया जायेगा।
- (v) उप खण्ड (iv) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण करने वाला प्राधिकृत पदाधिकारी जिला पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को, की गई तलाशी और उसके द्वारा अभिगृहीत किये गये खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के स्टॉक के ब्योरो की जानकारी देगा।
- (v) तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-100 के उपबंध, जहाँ तक हो सके, इस आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे।
- (vi) निदेशालय स्तर पर एक उड़नदस्ता दल गठित होगा, इसमें सदस्य के रूप में झारखण्ड आपूर्ति सेवा के दो पणन पदाधिकारी एवं दो प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी रहेंगे। यह दल विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकार को प्रतिवेदित करेगा।

35. विमुक्ति

नियंत्रण आदेश का प्रावधान निम्नलिखित द्वारा या उनके निमित्त आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए संचय पर लागू नहीं होगा -

- (i) केन्द्रीय सरकार,
- (ii) राज्य सरकार,
- (iii) राज्य सरकार की संस्थाएं, संगठन अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसियाँ
- (iv) कोई केन्द्रीय या राज्य स्तरीय सहकारी समिति।

36. इस आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी चीज के लिए, जो इस आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशायित है, के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

37. आवश्यक निदेश देने की शक्ति

राज्य सरकार/विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिले के उपायुक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के योजनाबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निदेश जारी कर सकेंगे और उचित मूल्य दुकान संचालक/संस्था/वर्ग ऐसे निदेशों का अनुसरण करने को आबद्ध होंगे।

38. विभाग को नियम बनाने की शक्ति

खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों के सफल व सुचारू संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु भविष्य में विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त इस आदेश के नीतिगत मामलों में यथा आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेगा।

39. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

केन्द्र सरकार के दिये गए निदेश के आलोक में हर संभव योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) लागू करने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

40. निरसन

- (i) नियंत्रण आदेश के अंतर्गत इस आदेश के अधिसूचित होने के पूर्व से उचित मूल्य दुकान संचालक के विक्रेताओं के विरुद्ध लंबित कार्रवाई तत्कालीन समय में लागू आदेश के अंतर्गत निष्पादित की जाएंगी।
- (ii) जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान संचालक की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्रक्रिया, अनुज्ञप्ति शुल्क, द्वितीयक अनुज्ञप्ति शुल्क, अनुज्ञप्तिधारी का कार्य संचालन, अनुज्ञप्तिधारी का कार्य अवधि एवं अवकाश, अनुज्ञप्ति का निलंबन [कंडिका-20(xx)] तथा रद्दीकरण, तलाशी एवं जब्ती, दण्ड, अनुज्ञप्ति के निलंबन [कंडिका-20(xx)]/ रद्दीकरण के पश्चात् आवश्यक वस्तुओं का व्ययन, अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण, एकरारनामा, अनुज्ञप्तिधारी का पहचान पत्र, अनुज्ञप्ति में व्यापार स्थल का परिवर्तन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोष-सिद्धियों का परिणाम तथा अपील से संबंधित पूर्व में निर्गत पत्र, परिपत्र, आदेश, निदेश एतद् द्वारा विलोपित समझे जायेंगे, परंतु जन वितरण प्रणाली व्यवस्था की सुदृढीकरण एवं विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं से संबंधित आदेश, निदेश, पत्र एवं परिपत्र पूर्व की भाँति लागू रहेंगे।
- (iii) उचित मूल्य दुकान संचालक के अनुश्रवण के संबंध में पूर्व में समय समय पर निर्गत परिपत्र जो इस नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो, लागू रहेगा एवं आदेश के अधीन अधिसूचित समझा जायेगा।

41. इससे संबंधित विभागीय संलेख संख्या-2342, दिनांक 26.09.2024 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 27.09.2024 की बैठक की मद संख्या-34 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु° - परिशिष्ट-I से V एवं प्रपत्र- I से X

(उमा शंकर सिंह),
सरकार के प्रभारी सचिव।

प्रपत्र-I

{उपखण्ड-10(iv) के अधीन}

“झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2024 के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति मंजूरी के लिए आवेदन पत्र”

सेवा में,

अनुज्ञापन पदाधिकारी,

.....

..... ।

महोदय,

मैं 'झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2024' के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूरी के लिए इसके द्वारा आवेदन करता हूँ। अपेक्षित विशिष्टियाँ निम्न प्रकार हैं:-

1. आवेदक की विशिष्टियाँ

- (क) नाम :
- (ख) शैक्षणिक योग्यता :
- (ग) पिता/पति का नाम :
- (घ) आयु :

2. आवेदक के निवास स्थान का पता (स्थायी तथा वर्तमान)

- (क) मकान :
- संख्या/होलिंग नं° :
- (ख) मोहल्ला/वार्ड नं° :
- (ग) ग्राम/कस्बा/प्रखण्ड :
- (घ) थाना :
- (ड.) जिला :

3. व्यापार स्थल का विवरण

- (क) ग्राम/वार्ड नं° :
- (मुहल्ला सहित),
जहाँ के लिए
अनुज्ञप्ति अपेक्षित
है -
- (ख) मकान/दुकान :
- संख्या :
- (ग) होलिंग नं° :
- (घ) क्षेत्रफल :
- (ड.) खाता नं° :
- (च) खेसरा नं° :
- (छ) चौहदी :
- (ज) मुहल्ला/वार्ड नं° :

- (इ) ग्राम/शहर : -----
- (ज) थाना : -----
- (ट) जिला : -----
4. दुकान का स्थान अपना है या : -----
किराया का? अगर किराया का है तो
किरायानामा का प्रति संलग्न करें।
5. क्या आवेदक के पास पूर्व से अन्य : -----
किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, -----
विवरण दें -----
6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु : -----
अधिनियम, 1955 के अधीन जारी
किए गए किसी आदेश के उल्लंघन
के कारण गत तीन वर्षों के दौरान
कभी भी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोषी
तो नहीं ठहराया गया है?
7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय : -----
द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोषी
ठहराया गया है?
8. क्या आवेदक के उपर कोई : -----
आपराधिक मामला तो लंबित नहीं
है?
9. क्या आवेदक सरकारी लाभ के : -----
किसी पद पर पदस्थापित तो नहीं हैं?
10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में हैं? : -----
यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें।
11. क्या आवेदक के पास आटा-चक्की : -----
है?

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ
कि उपर्युक्त मद संख्या 1 से 11 में वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है एवं
उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है। भविष्य में उल्लेखित तथ्य असत्य पाये जाने पर मैं कानूनी कार्रवाई का
भागी होऊँगा।

मैं 'झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2022' के प्रावधानों को सावधानीपूर्वक
पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रपत्र-II

{उपखण्ड-16 के अधीन}

“ झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2024 के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञापत्र ”

अनुज्ञप्ति संख्या :
 चालान संख्या :
 तारीख :
 अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
 पिता/पति का नाम :
 पता :

अनुज्ञप्तिधारी का
 फोटो
 (सम्बन्धित क्षेत्र के
 आपूर्ति निरीक्षक
 द्वारा अभिप्रमाणित
 एवं अनुज्ञापन
 पदाधिकारी द्वारा
 प्रतिहस्ताक्षरित)

कर्तव्य और उत्तरदायित्व

1. "झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2024" के उपबंधों तथा इस अनुज्ञप्ति के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अधीन श्री
 को जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय और संवितरण को नियमित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं का भंडारण निम्नलिखित स्थान पर करने हेतु इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है -

भंडारण स्थान का विवरण

(क) खाता :
 (ख) खेसरा :
 (ग) होल्डिंग नं° :
 (घ) दुकान का क्षेत्रफल :
 (ङ.) दुकान का विवरण :
 (च) पता :
 (छ) दुकान की चौहद्दी :

(ज) दुकान किराये पर है तो :
 भवन मालिक का नाम :
 एवं पता :

2. आवश्यक वस्तुओं का विवरण

(क) खाद्यान्न :
 (ख) चीनी :
 (ग) किरासन तेल :
 (घ) नमक :
 (ङ.) दाल :
 (च) अन्य वस्तुएँ :

3. (क) अनुज्ञप्तिधारी खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में भंडार और बिक्री पंजी संधारित करेगा। क्रमांक-2 में वर्णित आवश्यक वस्तुओं का मात्रा पंजियों में निम्न प्रकार प्रविष्टि करेगा -

- (i) खाद्यान्न-क्विल या किलोग्राम में
 (ii) नमक, चीनी, दाल आदि/खाद्य तेल/किरासन तेल-लीटर में

(ख) अनुज्ञप्तिधारी भंडार पंजी में सभी प्रविष्टियाँ अगले दिन दुकान खुलने के पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण कर लेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी निगोशियेबल इंस्ट्रूमेन्ट ऐक्ट, 1981 के अन्तर्गत घोषित सार्वजनिक अवकाश/साप्ताहिक बंदी के दिनों को छोड़कर, प्रतिदिन दुकान खोलेगा तथा "सूचना पट्ट" दुकान के बाहर एवं "मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट्ट" दुकान के अन्दर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी दुकान से सम्बद्ध पी०एच०एच०, अन्त्योदय और JSFSS लाभान्वितों की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्डधारी को आवश्यक वस्तुओं का वितरण उनके हकदारी के अनुसार निर्धारित दर पर वितरण करेगा।
7. अनुज्ञप्तिधारी, आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित दर/कीमत से उच्चतर दर/कीमत पर सम्बद्ध उपभोक्ताओं को न बेचेगा और न ही बेचने का प्रस्ताव करेगा।
8. अनुज्ञप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं का बिक्री के पश्चात् प्रत्येक उपभोक्ता को कैशमेमो देगा जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता लिखकर उनका हस्ताक्षर/निशान लेगा।
9. अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्डधारी को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पश्चात् उसके राशन कार्ड पर आपूर्ति की प्रविष्टि कर राशन कार्ड सम्बन्धित उपभोक्ता को लौटा देगा। अनुज्ञप्तिधारी किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ता का राशन कार्ड अपने पास नहीं रखेगा।
10. अनुज्ञप्तिधारी खाद्यान्न का उठाव करते समय सम्बन्धित गोदाम से उसका एक "संयुक्त नमूना" भी प्राप्त करेगा तथा उसे दुकान के अंदर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
11. अनुज्ञप्तिधारी कारबार से संबंधित ऐसी सूचना जिसकी उससे मांग की जाय, सही-सही प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे आदेशों का पालन करेगा जो समय-समय पर राज्य सरकार/विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिले के उपायुक्त द्वारा दिया जाय।
12. अनुज्ञप्तिधारी अपने दुकान में आवश्यक वस्तुओं का भंडार तथा लेखाओं/पंजियों का निरीक्षण करने के लिए तथा आवश्यक वस्तुओं की परीक्षण हेतु उनके नमूना लेने के लिए निरीक्षी पदाधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर समस्त सुविधाएं देगा।
13. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा "निरीक्षण पुस्तिका" और "शिकायत/सुझाव पुस्तिका" संधारित की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी खाद्यान्न की क्वालिटी, मात्रा एवं राशन लेने के दौरान पेश आई अन्य समस्याओं के सन्दर्भ में शिकायतें/सुझाव दर्ज करने हेतु उपभोक्ताओं को उनकी मांग पर "शिकायत/सुझाव पुस्तिका" उपलब्ध करायेगा।
14. अनुज्ञप्तिधारी सभी अनुज्ञप्ति तथा सभी प्रकार की पंजी/पुस्तिका एवं कैशमेमो दुकान में ही रखेगा।
15. अनुज्ञप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं को उचित स्थिति में रखेगा तथा भूमि की नमी, वर्षा, कीटों, सुंडों, चिड़ियों, आग एवं ऐसे ही अन्य कारणों से इन वस्तुओं को होने वाली हानि से बचाने का आवश्यक उपाय करेगा।
16. अनुज्ञप्तिधारी उर्वरकों, कीटनाशी, औषधियों तथा विषैले रासायनिक पदार्थों के साथ खाद्यान्न का भंडारण नहीं करेगा।
17. अनुज्ञप्तिधारी सही वजन एवं माप में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये तराजू, बटखारा एवं अन्य उपकरण का सत्यापन माप तौल विभाग से ससमय कराकर दुकान में रखेगा।
18. अनुज्ञप्तिधारी मास के अन्त में आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक वितरण और अधिशेष स्टॉक का हिसाब प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी निर्देश के आलोक में देगा और उसकी प्रति ग्राम पंचायत को भी देगा।

19. अनुज्ञप्तिधारी निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन तथा संवितरण के संबंध में पंजियों या अभिलेखों को पेश करेगा और ऐसी जानकारी देगा जो निरीक्षी पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा मांगी जाय।
20. कोई राशन कार्डधारक जो उचित कीमत की दुकान के संचालक (अनुज्ञप्तिधारी) के अभिलेखों से उद्धरण अभिप्राप्त करना चाहता है, अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित फीस ₹0 10/- (दस) व फोटो कॉपी का व्यय जमा करने एवं लिखित अनुरोध पर एवं शुल्क प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों के भीतर ऐसे उद्धरण प्रदान करेगा।
21. अनुज्ञप्तिधारी एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे किसी सरकारी सेवा में नहीं है/किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं है तथा अपनी अनुज्ञप्ति किसी अन्य व्यक्ति को कार्यकाल तक हस्तान्तरित नहीं करेंगे।
22. यह अनुज्ञप्ति/...../..... तक विधिमान्य होगा।

स्थान :

दिनांक :

(अनुज्ञापन पदाधिकारी)

नाम, पदनाम एवं कार्यालय का मुहर

प्रपत्र-III

{उपखण्ड-20(vi) के अधीन}

**“भण्डार पंजी”
(योजनावार)**

- 1 जन वितरण प्रणाली दुकानदार का नाम :
- 2 व्यापार स्थल का पता :
- 3 ग्राम :
- 4 पंचायत :
- 5 प्रखण्ड :
- 6 जिला :
- 7 अनुज्ञप्ति संख्या :
- 8 योजना का नाम : अन्त्योदय/पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ/JSFSS (तदनुसार कार्ड की संख्या)

माह का नाम:

.....

मद/सामग्री/उपावंटित मात्रा

तिथि	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	कुल मात्रा	निर्गत मात्रा	राशन कार्ड की संख्या	अंतिम अवशेष	अभ्युक्ति

प्रपत्र-V
{उपखण्ड-20(ix) के अधीन}

“ मासिक प्रतिवेदन ”

1. नाम :
2. पता :
3. अनुज्ञप्ति संख्या :
4. वाहन का पंजीकरण संख्या एवं उसकी विवरणी (जिससे सामान की आपूर्ति प्राप्त हुई हो) :
5. गोदाम विवरणी (जहाँ सामग्री रखा गया हो) :
6. प्रतिवेदित माह में प्रारंभिक स्टॉक : गेहूँ- चावल-
 चीनी- नमक-
 किरासन तेल- अन्य-
7. प्रतिवेदित माह में प्राप्ति : गेहूँ- चावल-
 चीनी- नमक-
 किरासन तेल- अन्य-
8. प्रतिवेदित माह में विक्रय : गेहूँ- चावल-
 चीनी- नमक-
 किरासन तेल- अन्य-
9. प्रतिवेदित माह में अवशेष स्टॉक : गेहूँ- चावल-
 चीनी- नमक-
 किरासन तेल- अन्य-
10. वैसे राशन कार्ड की संख्या जिन्होंने :
संबंधित माह में उठाव नहीं किया :
है। उन सभी का राशन कार्ड नम्बर :

स्थान :

दिनांक :

अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-VI

{उपखण्ड-10(vii) के अधीन}

“झारखण्ड व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापत्र एकीकरण”

1. अनुज्ञप्ति संख्या थोक/खुदरा
2. चालान संख्या तारीख द्वारा निक्षिप्त प्रतिभूति रूपया
3. व्यापारी का नाम, भागीदारों, यदि कोई हो, के साथ -
 (क)
 (ख)
 (ग)

-: निबन्धन तथा शर्तें :-

1. झारखण्ड लक्षित जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024 के उपबन्धों तथा इस अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों के अधीन/श्री/सर्व श्री को नीचे व्यापारिक वस्तुओं का क्रय, विक्रय हेतु भण्डारण करने के लिए, इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है:-

थोक विक्रेता के रूप में

i½
 ii½
 iii½
 iv½
 v½

खुदरा विक्रेता के रूप में

i½
 ii½
 iii½
 iv½
 v½

2. क) अनुज्ञप्तिधारी पूर्वोक्त व्यापारिक वस्तुओं का कारबार निम्नलिखित स्थान पर करेगा।
 ख) उन व्यापारिक वस्तुओं का जिनका की पूर्वोक्ति कारोबार किया जाना है, भण्डारण नीचे वर्णित गोदामों से भिन्न किसी स्थान पर नहीं किया जायेगा:-
 (i)
 (ii)
 (iii)
 (iv)
 (v)

टिप्पणी:- यदि अनुज्ञप्तिधारी का आशय व्यापारिक वस्तुओं का भण्डारण ऊपर विनिर्दिष्ट स्थान से भिन्न स्थान पर व्यापारिक वस्तुओं के वास्तविक भण्डारण से बहत्तर घंटे की कालावधि के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचना देगा। वह ऊपर वर्णित सूचना देने से एक पखवारा के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष अनुज्ञप्ति भी पेश करेगा ताकि अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके।

3. (क) अनुज्ञप्तिधारी पैरा 1 में वर्णित व्यापारिक वस्तुओं के लिए पुरूप “च” में दैनिक लेखों का एक स्टॉक पंजी रखेगा जिसमें निम्न तथ्य सही बताये जाएंगे।
 (क) प्रत्येक दिन का प्रारंभिक स्टॉक
 (ख) प्रतिदिन प्राप्त मात्रा, वह स्थान जहाँ से और वह श्रोत जिससे प्राप्त हुई।

(ग) प्रतिदिन, परिदत्त या अन्यथा हटायी गयी मात्रा गंतव्य स्थान बताते हुए तथा
 (घ) प्रत्येक दिन का अंतिम स्टाक।
स्पष्टीकरण:- अनुज्ञप्तिधारी विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं के लिए एकाधिकार स्टाक रजिस्टर रख सकेगा और प्रत्येक व्यापारिक वस्तु के लिए पृथक-पृथक पृष्ठ आवंटित कर सकेगा।

- परन्तु:-**
- क) किन्तु खाद्यान्न, चीनी एवं वनस्पति के खुदरा बिक्रेता के लिए खाद्यान्न, चीनी और वनस्पति का स्टाक पंजी संधारित करना आवश्यक नहीं होगा।
 - (ख) अनुज्ञप्तिधारी टेलीफोन पर या बिल्टर के माध्यम से या अन्यथा व्यापारिक वस्तुओं के क्रय या विक्रय के संबंधों में किये गये समस्त संव्यवहार स्टाक रजिस्टर के प्रविष्ट करेगा। यदि क्रय की गई व्यापारिक वस्तुएं, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई संव्यवहार करने की तारीख को वस्तुतः प्राप्त नहीं होती है, तो स्टाक रजिस्टर में इस निमित्त एक टिप्पणी अभिलिखित की जायेगी।
 - (ग) विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं को मात्रा स्टाक रजिस्टर में निम्नलिखितानुसार प्रविष्ट की जायेगी:-
 - (i) खाद्यान्न, चीनी तिलहन तथा दालें..... क्विंटलों या किलोग्राम में।
 - (ii) खाद्य तेल पोपों/किलोग्राम में/लीटर में।
 - (iii) कोयला क्विंटलों या किलोग्राम में।
 - (iv) किरासन तेल लीटर में।
 - (घ) अनुज्ञप्तिधारी जब तक युक्तियुक्त है तक से निवारित न हो जिसे साबित करने का भार उसी पर होगा, स्टाक रजिस्टर में प्रतिदिन की प्रविष्टियाँ अधिक से अधिक अगले दिन की संव्यवहार प्रारम्भ करने से पूर्व पूरी कर लेगा।
 - (ङ) कोई अनुज्ञप्तिधारी जो स्वयं खाद्यान्नों, तिलहनों एवं दलहनों का उत्पादक है, स्वयं के उत्पादक के स्टाक को स्टाक रजिस्टर में अलग से दर्शित करेगा, यदि ऐसे स्टाक का भण्डारण उसके कारबार परिसर में किया जाता है।

4. अनुज्ञप्तिधारी इस आदेश के या आवश्यक वस्तुओं से संबंधित तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों का उल्लेख नहीं करेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी:-
 - (i) ऐसा कोई संव्यवहार नहीं करेगा जिसमें व्यापारिक वस्तुओं के सट्टे की ऐसी नीति से जो बाजार में उनका प्रदाय बनाये रखने पर तथा असानी से उनकी उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वी ही, क्रय विक्रय या विकायार्थ भण्डारण उन्तवलिप्त हो।
 - (ii) किसी व्यापारिक वस्तु की कीमतों तथा स्टाक की सूची में विनिर्दिष्ट कीमत पर उच्चतर कीमत पर न तो बेचेगा और न बेचने का प्रस्ताव करेगा।
 - (iii) विक्रयार्थ रखी गई किसी व्यापारिक वस्तु को कीमते तथा स्टाक की सूची में ऐसी वस्तु के संबंध में विनिर्दिष्ट कीमत से किसी व्यक्ति को बेचने से इंकार नहीं करेगा तथा
 - (iv) व्यापारिक वस्तुओं के खण्ड 18 के अधीन नियत सीमाओं से अधिक स्टाक की अपने कब्जे में नहीं रखेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी, झारखण्ड आवश्यक वस्तु मूल्य एवं स्टाक प्रदर्शन आदेश 1977 तथा उसमें सरकार द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधन के अनुसार हिन्दी में विभिन्न वस्तुओं का स्टाक एवं मूल्य व्यापार परिसर या उसके सन्निकट सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
7. अनुज्ञप्तिधारी व्यापारिक वस्तु के प्रत्येक ग्राहक का स्वयं का नाम तथा अनुज्ञप्ति संख्या ग्राहक का नाम, पता तथा अनुज्ञप्ति संख्या, यदि कोई हो स्वयं व्यापार की ता° विहित मात्रा तथा प्रभारित कीमत का उल्लेख करते हुए यथास्थिति एक नकद पत्र या बीजक जारी करेगा। वह उसकी दूसरी प्रति अपने पास रखेगा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निहित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवायी जायेगी।

परन्तु किसी खुदरा विक्रेता के लिए व्यापारिक वस्तु के संबंध में जिसकी कीमत 10 रूपये से अधिक न हो तो ऐसा कोई नगद पत्र या बीजक जारी करना या ऐसी दूसरी प्रति रखना आवश्यक नहीं होगा जब तक कि ग्राहक द्वारा उसकी माँग न की जाए।

8. अनुज्ञप्तिधारी कारबार से संबंधित ऐसी सूचना जिसकी उससे माँग की जाए सही-सही प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो समय-समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा।
9. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी दुकान गोदाम से या अन्य स्थानों पर जिनका उपयोग वह भंडारण विक्रय या क्रय के लिए करता है अपने स्टॉक तथा लेखाओं का निरीक्षण करने के लिए तथा खण्ड 1 में वर्णित व्यापारिक वस्तुओं की परीक्षा हेतु उनके नमूने लेने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर सुविधाएँ देगा।
10. अनुज्ञप्तिधारी ऐसी किसी निर्देश का पालन करेगा जो उसे इन व्यापारिक वस्तुओं के क्रय-विक्रय तथा विक्रयार्थ भंडारण के संबंध में और उस भाषा के संबंध में जिसमें रजिस्टर, विवरणियों रसीदें, या बिजक लिखे जाएंगे तथा उपर पैरा 3 में दर्शित रजिस्टर के अधिप्रमाणन, तथा उसे रखने के संबंध में राज्य सरकार या कलक्टर या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा।
11. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के संबंध में ऐसे संबंधित ऐसी निर्देशों का जो उस दशा में जबकि वह किसी विनियमित बाजार में कृत्य करता हो अधिकारिता रखने वाले विपणन प्राधिकारी द्वारा उसे दिये जाये किसी अन्य दशा में ऐसे निकाय द्वारा दिये जाये, जिसे राज्य सरकार द्वारा इसके निमित्त मान्यता प्रदान की गई हो पालन करेगा।
12. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारियाँ यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगा कि उसके द्वारा भंडार में रखी गई व्यापारिक वस्तुएँ उचित स्थिति में रखी जाती हैं तथा भूमि की नमी तथा वर्षा, कीटों, कृतकों चिड़ियों, आग तथा ऐसे ही अन्य कारणों से इन वस्तुओं को होने वाली हानि से बचाया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी यह भी सुनिश्चित करेगा उर्वरकों, कीटनाशी औषधियों तथा विषैली रसायनिक पदार्थों का जिनसे ऐसी वस्तुओं से सद्दूषित होने की संभावना हो भंडारण उन्हीं गोदामों में इस वस्तुओं के साथ या व्यापारिक वस्तुओं के स्टॉक के ठीक सन्निकट नहीं किया जाता।
13. अनुज्ञप्तिधारी ग्राहक या व्यापारिक को व्यापारिक वस्तुओं का प्रदाय या विक्रय उसी मात्रा या वजन तथा उसी कीमत के अनुसार करेगा जो अपेष्टक/पैकेज पर अंकित है किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी आदेश द्वारा कोई सीमा अनुज्ञप्ति हो तो उसे अंकित मात्रा या वजन में से घटा दिया जायेगा।
14. यह अनुज्ञप्ति नवीकरण के आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी।
15. यह अनुज्ञप्ति/...../20..... तक विधिमान्य होगी।

स्थान :-

दिनांक :-

अनुज्ञापन प्राधिकारी

निःशुल्क उपलब्ध

पृष्ठ 1/2

प्रपत्र-VII**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013**

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अपवर्जन मानक के आधार पर सम्मिलित किये जाने हेतु स्वघोषणा-पत्र-सह-परिवारिक विवरणी:-

अपवर्जन मानक (Exclusion Criteria) के आधार पर स्व घोषणा-पत्र

मैं पिता/पति-..... श्रेणी
-सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आयु-..... झारखण्ड
पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि -

1. मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पषर्द/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित नहीं है, अथवा
2. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य, आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर नहीं देता है, अथवा
3. मेरे या मेरे परिवार के पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक असंचित भूमि नहीं है, अथवा
4. मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन (Four Wheeler Vehicle) अथवा इससे अधिक पहिये के वाहन नहीं हैं, अथवा
5. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक नहीं हैं, अथवा
6. मेरे या मेरे परिवार के पास सरकारी आवास योजनाओं से अनाच्छादित कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान नहीं है, अथवा
7. मेरे या मेरे परिवार के 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि) नहीं है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सभी तथ्य तथा संलग्न परिवार की सूची मेरे ज्ञान पर आधारित है व सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य गतल/मिथ्या पाये जाते हैं तो इसके लिये कानूनी तौर पर मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। साथ ही मैं सरकार से अनुचित रूप से ली गई सहायता (खाद्यान्न इत्यादि) का बाजार मूल्य व इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जुर्माने/ब्याज सहित राशि वापस लौटाने का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। भविष्य में यदि मैं या मेरा परिवार, निर्धारित मापदण्डों की सीमा से बाहर हो जाते हैं तो मैं इसकी सूचना ग्राम पंचायत/शहरी निकाय को दूँगा/दूँगी व इस योजना के अन्तर्गत आगे लाभ नहीं लूँगा/लूँगी।

स्थान:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

नाम:

परिवारिक विवरणी

पता ग्राम:- वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए):- पंचायत:- प्रखण्ड:- मतदान केन्द्र संख्या:-	ज०वि०प्र० दुकानदारधितरक का नाम : अनुज्ञप्ति संख्या: वर्तमान कार्ड का प्रकार: ☐ अन्त्योदय ☐ अन्य/कोई कार्ड नहीं	खातेदार का नाम: बैंक का नाम:
---	---	--

क्र० सं०	सदस्य का नाम	लिंग	पिता/पति	उम्र	महिला / पुरुष	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1						स्वयं		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

सत्यापनकर्त्ता का हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

नोट:- परिवार के प्रत्येक सदस्य जिसका आधार न० प्रविष्ट किया गया है उसके आधार कार्ड का छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

प्रपत्र-VIII**आवेदनकर्ता के परिवार का अपवर्जन मानको में नहीं आने से संबंधित स्वघोषणा-पत्र**

मैं पिता/पति-.....

पता: श्रेणी-
सामान्य/पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/PVTG,
आयु: पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि निम्नवर्णित समावेशन मानक
(Inclusion Criteria) के आधार पर मैं एक सुपात्र आवेदक हूँ (प्रासंगिक कोष्ठक में ✓ लगाएँ) -

- (1) मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त नहीं हूँ, अथवा ☐
- (2) मैं विधवा/परित्यक्ता/ Transgender हूँ तथा भारत सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/ न्यास, इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत्त नहीं हूँ, अथवा ☐
- (3) मैं 40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाला निःशक्त हूँ तथा भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/ प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त नहीं हूँ, अथवा ☐
- (4) मैं आदिम जनजाति (PVTG- Particularly Vulnerable Tribal Group) का सदस्य हूँ तथा भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/ प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित नहीं हूँ, अथवा ☐
- (5) सिविल सर्जन से अन्यून पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार मैं कैंसर /एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति हूँ तथा भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/ उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त नहीं हूँ, अथवा ☐
- (6) मैं अकेला रहने वाला वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार हूँ, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/ नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित नहीं हूँ, अथवा ☐
- (7) मैं भिखारी/गृहविहीन व्यक्ति हूँ अथवा ☐
- (8) मैं कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाड़ूकश (Sweeper) हूँ अथवा ☐
- (9) मैं निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/राजमिस्त्री (Mason)/अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker)/रिक्शाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thela/ Hand Cart Puller) हूँ अथवा ☐
- (10) मैं फुटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेन्टर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/ मैकेनिक (Mechanic)/दर्जी (Tailor)/ नलसाज (Plumber)/माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler) हूँ। ☐

उपर्युक्त क्रम में निम्नवर्णित अपवर्जन मानक (Exclusion Criteria) के आधार पर पूर्ण सत्यनिष्ठान के साथ घोषण करता/करती हूँ कि -

- (11) मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पषर्द/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित नहीं है,
- (12) मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य, आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर/GST नहीं देता है,
- (13) मेरे या मेरे परिवार के पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से असिंचित भूमि नहीं है,
- (14) मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन (Four Wheeler Vehicle) अथवा इससे अधिक पहिया के वाहन नहीं हैं,
- (15) मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक नहीं हैं,
- (16) मेरे या मेरे परिवार के पास पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का पक्का मकान नहीं है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से अनाच्छादित है,
- (17) मेरे या मेरे परिवार के पास 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिए वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि) नहीं है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है तथा मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सभी तथ्य तथा संलग्न परिवार की सूची मेरे ज्ञान पर आधारित है व सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य गलत/मिथ्या पाये जाते हैं तो इसके लिये कानूनी तौर पर मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

साथ ही, मैं सरकार से अनुचित रूप से ली गई सहायता (खाद्यान्न इत्यादि) का बाजार मूल्य व इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जुर्माने/ब्याज सहित राशि वापस लौटाने का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

भविष्य में यदि मैं या मेरा परिवार, निर्धारित मापदण्डों की सीमा से बाहर हो जाते है तो मैं इसकी सूचना ग्राम पंचायत/शहरी निकाय को दूँगा/दूँगी व इस योजना के अन्तर्गत आगे लाभ नहीं लूँगा/लूँगी।

स्थान:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

नाम:

प्रपत्र-IX

जनवितरण प्रणाली के अनुश्रवण/निरीक्षण से संबंधित जाँच प्रपत्र (धारा-32(i) के अधीन)

पूर्व की जाँच की तिथि:-.....
वर्तमान जाँच की तिथि:-..... समय:-.....

क्र° सं°	प्रश्नावली	उत्तर
1	जनवितरण प्रणाली दुकान/स्वयं सहायता समूह का नाम	
2	जनवितरण प्रणाली दुकानदार की अनुज्ञप्ति संख्या	
3	जनवितरण प्रणाली दुकान चालू होने की तिथि	
4	जनवितरण प्रणाली दुकान का स्थल/पता	जनवितरण प्रणाली दुकान का स्थल Latitude - Longitude -
5	जनवितरण प्रणाली दुकान की चैहदी	पूरब - पश्चिम - उत्तर- दक्षिण-
6	जनवितरण प्रणाली दुकान संचालित करने वाले दुकानदार का नाम	नाम - आधार संख्या- मोबाईल संख्या- पंचायत-
7	जनवितरण प्रणाली दुकान के साथ सम्बद्ध गाँव/पंचायत/ वार्ड का नाम	
8	संबंधित पंचायत के मुखिया/वार्ड पाषर्द का नाम	नाम:- मोबाईल संख्या:-
9	जनवितरण प्रणाली दुकान से संबंधित निगरानी समिति के सदस्यों की विवरणी	

10	जनवितरण प्रणाली दुकान से सम्बद्ध राशन कार्डों की संख्या	अन्त्योदय कार्ड :- पूर्वविकता प्राप्त गृहस्थ कार्ड :- हरा कार्ड :- अन्य कोई :-
----	---	---

11	जनवितरण प्रणाली दुकान में दी जाने वाली वस्तु की भण्डार स्थिति, दर तथा प्रति इकाई देय मात्रा की सूचना						
क्र°सं°	राशन कार्ड के प्रकार	आवंटन					
		गेहूँ	चावल	चीनी	नमक	कि°तेल	अन्य
(क)	अन्त्योदय राशन कार्ड						
(ख)	पूर्वविकता प्राप्त गृहस्थ राशन कार्ड						
(ग)	हरा राशन कार्ड						
(घ)	सफेद राशन कार्ड						
(ङ)	अन्नपूर्णा राशन कार्ड						
(च)	अन्य कोई						

क्र° सं°	वस्तु का नाम	निरीक्षण के दिन का भंडार क्विंटल-कि०ग्राम	निरीक्षण के दिन की प्राप्ति	कुल	दर प्रति किलो/लीटर	प्रति कार्ड/इकाई देय मात्रा	अभ्युक्ति
1	गेहूँ						
2	चावल						
3	चीनी						
4	नमक						
5	कि° तेल						
6	अन्य						
7							
8							

क्र° सं°	प्रश्नावली	उत्तर
12	जनवितरण प्रणाली दुकान के खुलने का समय	
13	जनवितरण प्रणाली दुकान के बंद होने का समय	
14	जनवितरण प्रणाली दुकान में संधारित ई-पॉस की कार्यशैली	ऑनलाईन / ऑफलाईन:- ई-पॉस का Serial Number:-
15	अगर ई-पॉस ऑफलाईन मोड में है तो वहाँ नेटवर्क उपलब्ध है अथवा नहीं?	
16	ई-पॉस में पेपर रोल लगे होने से संबंधित सूचना	
17	जनवितरण प्रणाली दुकान में तेल के ड्रमों की संख्या	
18	तेल के ड्रम पर डीलर का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या वर्णित है, हाँ या नहीं? अगर नहीं है तो वर्णित नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या	हाँ नहीं
		अगर नहीं है तो
		नाम:- अनुज्ञप्ति संख्या:-

क्र० सं०	प्रश्नावली	हाँ/नहीं
19	क्या जनवितरण प्रणाली दुकान का संचालन आवंटित व्यक्ति/संस्था अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है?	
20	क्या उचित मूल्य की दुकान को किसी अप्राधिकृत व्यक्ति/संस्था को हस्तांतरित अथवा किराये पर दे दिया गया है?	
21	क्या राशन कार्डधारकों की हकदारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित खुदरा निर्गम मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का विक्रय किया जा रहा है?	
22	क्या विक्रेता लाभुकों को वितरित की गई सामग्री का तत्संबंधी रसीद सुपुर्द की जा रही है?	
23	क्या राशन कार्डधारकों को जन वितरण प्रणाली के अधीन भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं को उसकी हकदारी के अनुसार प्रदाय करने से इन्कार किया जा रहा है?	
24	क्या जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं को प्रदाय करने के पश्चात् राशन कार्ड संबंधित व्यक्ति को वापस नहीं किया जा रहा है?	
25	क्या राशनकार्डधारी को बिक्री की गई सामग्री को उचित मूल्य दुकान के परिसर में रखा जा रहा है?	
26	क्या राशन कार्ड अथवा वितरण/स्टॉक/मिलान पंजी अथवा किसी अन्य अधिकारिक दस्तावेज में फर्जी अभ्युक्ति अंकित की जा रही है?	
27	क्या जनवितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा अपने ऑफलाईन वितरण/अपवाद पंजी से हुए वितरण का ऑनलाईन इंटी अगले माह के प्रथम सात कार्य दिवस के अंदर कराया जा रहा है?	
28	क्या जनवितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा अपने वितरण क्षेत्र के मृत कार्डधारी, विस्थापित कार्डधारी या वैसे कार्डधारी जो अपवर्जन मानक के अधीन है, उसकी सूचना समय-समय पर जिला आपूर्ति कार्यालय को भेजते हैं?	
29	क्या राशनकार्ड पंजी, वितरण पंजी, स्टॉक पंजी, मिलान पंजी, अपवाद पंजी आदि के पृष्ठ सत्यापित हैं? अगर हैं तो कब तक? राशनकार्ड पंजी : कुल पृष्ठ:..... सत्यापित पृष्ठ:..... दिनांक:..... वितरण पंजी : कुल पृष्ठ:..... सत्यापित पृष्ठ:..... दिनांक:..... स्टॉक पंजी : कुल पृष्ठ:..... सत्यापित पृष्ठ:..... दिनांक:..... मिलान पंजी : कुल पृष्ठ:..... सत्यापित पृष्ठ:..... दिनांक:..... अपवाद पंजी : कुल पृष्ठ:..... सत्यापित पृष्ठ:..... दिनांक:.....	
30	क्या जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है?	
31	क्या दुकान के प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, खाद्यान्नों की गुणवत्ता और मात्रा के बावत शिकायतों के निष्पादन के लिए पदाधिकारी एवं अनुज्ञापन पदाधिकारी इन सभी के नाम, पदनाम, पता एवं दूरभाष संख्या संप्रदर्शित किया जा रहा है?	
32	क्या दुकान के प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर झारखंड राज्य खाद्य आयोग का पता एवं दूरभाष संख्या संप्रदर्शित किया जा रहा है?	
33	क्या "शिकायत-सह सुझाव पुस्तिका" दुकानदार के पास उपलब्ध है?	

34	क्या जन वितरण प्रणाली दुकानदार के पास राशन कार्डधारकों के पंजी, निर्गम, विक्रय पंजियों, शिकायत-सह-सुझाव पुस्तिका का रख रखाव किया जा रहा है?					
35	क्या सामग्री उठावकर्ता को संबंधित रसीद उपलब्ध कराई जा रही है?					
36	क्या अनुज्ञापन पदाधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित पूर्वानुमति के बिना कार्यावधि के दौरान दुकान बंद रखा जा रहा है?					
37	क्या ई-पॉस का उपयोग किए बिना अथवा अपवाद पंजी के बिना स्वेच्छापूर्वक खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है?					
38	क्या प्रत्येक उचित मूल्य दुकान की अनुज्ञप्ति धारक जो किसी बाट या माप का किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिए उपयोग कर रहा है, ऐसे बाट या माप का सत्यापन विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे किसी अन्य स्थान में, जिसे विधिक माप विज्ञान अधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, वहाँ से सत्यापित है?					
39	क्या जनवितरण प्रणाली दुकान में इलेक्ट्रॉनिक भार मापक यंत्र अधिष्ठापित है?					
40	क्या इलेक्ट्रॉनिक भार मापक यंत्र के द्वारा सामग्री को तौल कर उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जा रहा है?					
41	क्या जनवितरण प्रणाली दुकान में उचित संख्या में तेल के ड्रम की व्यवस्था की गई है?					
42	क्या तेल के ड्रम को पीला रंग से रंग कर एवं ड्रम पर डीलर का नाम एवं लाईसेंस संख्या काले रंग से अंकित किया गया है?					
43	क्या तेल के ड्रम को आर0सी0सी0 छतयुक्त पक्का मकान में रखा गया है?					
44	क्या अग्नि सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध कर यथा-दुकान के अंदर अग्निशामक यंत्र अथवा बाल्टी में बालू भर कर दुकान के बाहर टांगा गया है?					
45	जनवितरण प्रणाली दुकानदार के पास उपलब्ध स्टॉक के सत्यापन की जाँच हेतु दुकान से सम्बद्ध 10 महिला लाभुकों से भी पूछ-ताछ की जायेगी। इस हेतु 10 महिला लाभुकों का चयन निम्न तरीके से किया जायेगा:- क. 02 महिला अनुसूचित जनजाति से ख. 02 महिला अनुसूचित जाति से ग. 02 महिला पिछड़ा वर्ग से घ. 04 महिला सामान्य/अन्य वर्ग से					
	क्र° सं°	नाम	पति/पिता का नाम	आधार संख्या	मोबाईल संख्या	पता
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
10						

	झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2024		55
	इन महिला लाभुकों से निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं:-		
	क्या जनवितरण प्रणाली दुकान नियमित रूप से खुली रहती है?		
	क्या जनवितरण प्रणाली दुकान द्वारा नियमित रूप से राशन दिया जाता है?		
	क्या जनवितरण प्रणाली दुकानदार का व्यवहार सही है?		
	क्या जनवितरण प्रणाली दुकान द्वारा निर्धारित मात्रा में राशन दिया जाता है?		
	क्या जनवितरण प्रणाली दुकान द्वारा ई-पॉस के उपयोग के उपरान्त पावती रसीद उपलब्ध कराई जाती है?		
46	दुकानदार की कोई शिकायत? विवरणी -		

दुकानदार का हस्ताक्षर

वार्ड पार्षद/मुखिया का हस्ताक्षर

निरीक्षणकर्त्ता का हस्ताक्षर

नये राशनकार्ड निर्गमन हेतु आवेदन प्रपत्र 10 A

पता	प्राथमिकता सूची हेतु अधिमानता मानक (प्रासंगिक कोष्ठक में ✓ लगाएँ)	बैंक खाता विवरणी																		
ग्राम:	आदिम जनजाति परिवार (PVTG)	आवेदक मुखिया का नाम:																		
वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए):	☐ विधवा/परित्यक्ता/ Transgender	आधार संख्या:																		
पंचायत:	☐ निःशक्त (40 प्रतिशत या इससे अधिक)	मोबाई नम्बर: <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
प्रखण्ड:	☐ कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति																			
जिला:	☐ अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार	बैंक शाखा का नाम:																		
ज॰वि॰प्र॰ दुकान का नाम:	☐ अनुसूचित जनजाति	बैंक शाखा का नाम:																		
	☐ अनुसूचित जाति																			
	☐ अन्यान्य																			
	☐																			
	☐																			
	☐																			

* आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा- आधार कार्ड अनिवार्य, बैंक खाता विवरणी तथा प्राथमिकता सूची में स्थान पाने हेतु अधिमानता मानक के लिए जाति प्रमाण-पत्र/निःशक्ता प्रमाण-पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण-पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र° सं°	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या	मोबाईल नम्बर
A	B	C	D	E	F	G	H
1	मुखिया का नाम				स्वयं		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणी की मैंने स्वयं जाँच की है तथा मेरे अभिज्ञान में यह सही एवं त्रुटिरहित है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

- ☐ आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचों परान्त मैंने सही पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया -
- आवेदक समावेशन मानक (कंडिका संख्या)-..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।
- आवेदक अपवर्जन मानक (कंडिका संख्या)-..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

बैटवारे के पश्चात् पुराने परिवार हेतु संशोधित पुराने राशनकार्ड प्राप्ति हेतु आवेदन प्रपत्र 10 B(i)

<u>पता</u>	मेरे परिवार में बँटवारें के कारण कुल परिवारों की संख्या:.....हो गई है। इस क्रम में बँटवारा नामा की छायाप्रति आवेदन के साथ पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। मूल राशनकार्ड में बँटवारे के पश्चात अलग हो गये पुराने सदस्यों का नाम हटाकर शेष बचे सदस्यों का नाम के साथ मेरे द्वारा आवेदन दिया गया है जिसकी विवरणी नीचे दी जा रही है। परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर	<u>बैंक खाता विवरणी</u>																			
ग्राम: वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए): पंचायत: प्रखण्ड: जिला: जंविंप्र° दुकान का नाम: राशनकार्ड संख्या:		आवेदक मुखिया का नाम: आधार संख्या:<table border="1" style="float: right;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>..... बैंक का नाम:..... बैंक शाखा का नाम: बैंक खाता संख्या:																			

* आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा-आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी तथा निःशक्ता प्रमाण-पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण-पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र० सं०	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या										मोबाईल नम्बर									
A	B	C	D	E	F	G										H									
1	मुखिया का नाम				स्वयं																				
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									

मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणी की मैने स्वयं जाँच की है तथा मेरे अभिज्ञान में यह सही एवं त्रुटिरहित है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचों परान्त मैने सही ☐ पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया -

☐ आवेदक समावेशन मानक (कंडिका संख्या)-..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।

आवेदक अपवर्जन मानक (कंडिका संख्या)-..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

बैटवारे के पश्चात् बने नये परिवार हेतु नये राशनकार्ड का आवेदन प्रपत्र 10 B(ii)

पता	प्राथमिकता सूची हेतु अधिमानता मानक (प्रासंगिक कोष्ठक में ✓ लगाएँ)	बैंक खाता विवरणी
ग्राम:		आवेदक मुखिया का नाम:
वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए):		
पंचायत:		
प्रखण्ड:		बैंक का
जिला:		नाम:.....
ज०वि०प्र० दुकान का नाम:		
पुराना राशनकार्ड संख्या:		बैंक शाखा का नाम:
		
		
		बैंक खाता संख्या:

* आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा-आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी तथा निःशक्ता प्रमाण-पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण-पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र० सं०	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या										मोबाईल नम्बर									
A	B	C	D	E	F	G										H									
1	मुखिया का नाम				स्वयं																				
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									

मेरे परिवार में बँटवारें के कारण कुल परिवारों की संख्या: हो गई है। इस क्रम में बँटवारा नामा की छायाप्रति आवेदन के साथ पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। मूल राशनकार्ड में मेरा परिवार अब सम्मिलित नहीं है। अतएव नये राशनकार्ड हेतु मेरे द्वारा आवेदन दिया जा रहा है। मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणी की मैंने स्वयं जाँच की है तथा मेरे अभिज्ञान में यह सभी एवं त्रुटिरहित है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

- ☐ आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचों परान्त मैंने सही पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया -
- ☐ आवेदक समावेशन मानक (कंडिका संख्या)-..... के आधार पर सुपात्र नहीं है। आवेदक अपवर्जन मानक (कंडिका संख्या)-..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

राशन कार्ड में पता में बदलाव संबंधी प्रपत्र 10 C

पुराना पता	वर्तमान पता	बैंक खाता विवरणी
ग्राम:	ग्राम:	आवेदक मुखिया का नाम:
वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए):	वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए):	
पंचायत:	पंचायत:	
प्रखण्ड:	प्रखण्ड:	आधार संख्या:
जिला:	जिला:	
पुराने ज०वि०प्र० दुकान का नाम:	वर्तमान ज०वि०प्र० दुकान का नाम:	
पुराना राशनकार्ड संख्या:	पुराना राशनकार्ड संख्या:	
		मोबाइल नंबर :
		
		
		बैंक का
		नाम:.....
		
		बैंक शाखा का नाम:
		
		

* आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा-आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र° सं°	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या										मोबाईल नम्बर									
A	B	C	D	E	F	G										H									
1					स्वयं																				
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									

पूर्व में मेरा परिवार पुराने पता पर रहता था। वर्तमान में उपरोक्त दिये गये वर्तमान पता पर निवास करता है। मेरे राशनकार्ड में पुराने पते को बदलकर वर्तमान पते की इन्ट्री करायी जाए। वर्णित उपर्युक्त विवरण मेरे अभिज्ञान में सही एवं त्रुटिरहित है। मेरे द्वारा (राज्य एवं जिला का नाम) के संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उस बावत सूचित कर दिया गया है (प्रतिशपथ-पत्र की प्रति संलग्न)।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचों परान्त मैंने सही

☐ पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया -

☐ आवेदक के द्वारा वर्तमान पते पर निवास किया जाता है।

आवेदक के पुराने जन वितरण प्रणाली दुकान से इनकी टैगिंग हटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

राशनकार्ड में नये सदस्य का नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र 10 D

पता	प्राथमिकता सूची हेतु अधिमानता मानक (प्रासंगिक कोष्ठक में ✓ लगाएँ)	बैंक खाता विवरणी
ग्राम:		आवेदक मुखिया का नाम:
वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए):		
पंचायत:	· आदिम जनजाति परिवार (PVTG)	
प्रखण्ड:	· विधवा/परित्यक्ता/ Transgender	आधार संख्या:
जिला:	· निःशक्त (40 प्रतिशत या इससे अधिक)	
जंविंप्र° दुकान का नाम:	· कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति	
राशनकार्ड संख्या:	· अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार	
	· अनुसूचित जनजाति	मोबाइल नंबर :
	· अनुसूचित जाति	
	· अन्यान्य	
		बैंक का
		नाम:.....
		
		बैंक शाखा का नाम:
		
		
		बैंक खाता संख्या:

* आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा-आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी तथा प्राथमिकता सूची में स्थान पाने हेतु अधिमानता मानक के लिए जाति प्रमाण-पत्र/निःशक्ता प्रमाण-पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण-पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र० सं०	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या										मोबाईल नम्बर									
A	B	C	D	E	F	G										H									
1	मुखिया का नाम				स्वयं																				
2	नये सदस्य का नाम																								
3	नये सदस्य का नाम																								
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									

मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणी की मैने स्वयं जाँच की है तथा मेरे अभिज्ञान में यह सही एवं त्रुटिरहित है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

- ☐ आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचों परान्त मैने सही पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया -
- ☐ आवेदक समावेशन मानक (कंडिका संख्या)-..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।
- आवेदक अपवर्जन मानक (कंडिका संख्या)-..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में नाम जोड़े जाने हेतु पुराने राशनकार्ड के मुखिया हेतु आवेदन प्रपत्र 10 E(i)

<u>पता</u>	<u>पुराने सदस्य का नया पता</u>	<u>बैंक खाता विवरणी</u>
ग्राम:	नाम:	आवेदक मुखिया का नाम:
वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए):	आधार संख्या:	
पंचायत:	ग्राम:	
प्रखण्ड:	वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए):	आधार संख्या:
जिला:	पंचायत:	
पुराने ज०वि०प्र० दुकान का नाम:	प्रखण्ड:	
पुराना राशनकार्ड संख्या:	जिला:	
	नये ज०वि०प्र० दुकान का नाम:	मोबाइल नंबर :
	नया राशनकार्ड संख्या:	
		
		बैंक का
		नाम:.....
		
		बैंक शाखा का नाम:
		
		
		बैंक खाता संख्या:

** आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा-आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी तथा प्राथमिकता सूची में स्थान पाने हेतु अधिमानता मानक के लिए जाति प्रमाण-पत्र/निःशक्ता प्रमाण-पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण-पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।*

क्र० सं०	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या										मोबाईल नम्बर									
A	B	C	D	E	F	G										H									
1	मुखिया का नाम				स्वयं																				
2	नाम हटने वाले सदस्य का नाम																								
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									

मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणी की मैने स्वयं जाँच की है तथा मेरे अभिज्ञान में यह सही एवं त्रुटिरहित है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

- ☐ आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचोंपरान्त मैने सही पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया -
- ☐ आवेदक समावेशन मानक (कंडिका संख्या)-..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।
आवेदक अपवर्जन मानक (कंडिका संख्या)-..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

एक राशनकार्ड से दुसरे राशनकार्ड में नाम जोड़े जाने हेतु नये राशनकार्ड के मुखिया हेतु प्रपत्र 10 E(ii)

<u>पता</u>	<u>पुराने सदस्य का नया पता</u>	<u>बैंक खाता विवरणी</u>																				
ग्राम:	नाम:	आवेदक मुखिया का नाम:																				
वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए):	आधार संख्या:																					
पंचायत:	ग्राम:																					
प्रखण्ड:	वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए):	बैंक का																				
जिला:	पंचायत:	नाम:.....																				
पुराने ज०वि०प्र० दुकान का नाम:	प्रखण्ड:	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																				
पुराना राशनकार्ड संख्या:	जिला:																					
	नये ज०वि०प्र० दुकान का नाम:	बैंक शाखा का नाम:																				
	नया राशनकार्ड संख्या:																					
																						
		बैंक खाता संख्या:																				

* आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा-आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी तथा प्राथमिकता सूची में स्थान पाने हेतु अधिमानता मानक के लिए जाति प्रमाण-पत्र/निःशक्ता प्रमाण-पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण-पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।

क्रं सं°	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या										मोबाईल नम्बर									
A	B	C	D	E	F	G										H									
1	मुखिया का नाम				स्वयं																				
2	नाम जोड़े जाने वाले सदस्य का नाम																								
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									

उक्त सदस्य द्वारा विवाह के पश्चात् इस राशनकार्ड में नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन दिया गया है। अतएव इस नये सदस्य का राशनकार्ड में नाम जोड़ा जाए। मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणी की मैने स्वयं जाँच की है तथा मेरे अभिज्ञान में यह सही एवं त्रुटिरहित है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

☐ आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचों परान्त मैने सही पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया -
आवेदक द्वारा वर्णित सदस्य द्वारा अब वर्तमान पते पर निवास किया जाता है।
आवेदक द्वारा वर्णित सदस्य का नाम पुराने राशनकार्ड से हटा दिया गया है।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

राशनकार्ड में सदस्य का नाम हटाने का आवेदन प्रपत्र 10 F

पता	राशनकार्ड में से सदस्य का नाम हटाने का कारण (प्रासंगिक कोष्ठक में ✓ लगाएँ)	बैंक खाता विवरणी
ग्राम:	☐ सदस्य की मृत्यु हो चुकी है। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न)। ☐ सदस्य द्वारा अन्य देशों में प्रवास किया जा रहा है। ☐ सदस्य परिवार के मुखिया थे। (अगर मृत सदस्य परिवार के मुखिया थे तो) ☐ मृत्युपरांत बनने वाले राशनकार्ड में अगले मुखिया के द्वारा आवेदन दिया गया है।	आवेदक मुखिया का नाम:
वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए):		आधार संख्या:
पंचायत:		
प्रखण्ड:		
जिला:		
ज०वि०प्र० दुकान का नाम:	आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर	मोबाइल नंबर :
राशनकार्ड संख्या:		 बैंक का नाम:..... बैंक शाखा का नाम: बैंक खाता संख्या:

* आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा-आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी तथा निःशक्ता प्रमाण-पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण-पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र० सं०	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या										मोबाईल नम्बर									
A	B	C	D	E	F	G										H									
1	मुखिया का नाम				स्वयं																				
2	मृत्यु/प्रवासन के पश्चात् शेष बचे सदस्यों के नाम																								
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									

मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणी की मैने स्वयं जाँच की है तथा मेरे अभिज्ञान में यह सही एवं त्रुटिरहित है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

☐

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचोंपरान्त मैने सही पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया -

उक्त राशनकार्ड में से मुखिया/सदस्य (नाम एवं आधार संख्या) को मृत्यु/प्रवासन के कारण नाम हटाये जा सकते हैं।

सत्यापनकर्त्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

राशनकार्ड के सरेण्डर हेतु प्रपत्र 10 G

पता ग्राम: वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए): पंचायत: प्रखण्ड: जिला: ज०वि०प्र० दुकान का नाम: राशनकार्ड संख्या:	☐ मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा परिवार अब अपवर्जन मानक द्वारा निर्धारित माप-दण्ड की सीमा से बाहर हो चुके हैं। इस कारण मुझे राशनकार्ड का सरेण्डर करना है। ☐ मैं अपना राशनकार्ड सरेण्डर करना चाहता हूँ। ☐ मेरे मूल राशन कार्ड के अतिरिक्त निम्न राशन कार्डों को रद्द किया जाय। (राशन कार्ड संख्या) (जो लागू न हो उसे काट दें) परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर
--	--

क्र० सं०	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या	मोबाईल नम्बर
A	B	C	D	E	F	G	H
1					स्वयं		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणी की मैंने स्वयं जाँच की है तथा इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचों परान्त मैंने सही पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया -

आवेदक समावेशन मानक (कंडिका संख्या)-..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।

आवेदक अपवर्जन मानक (कंडिका संख्या)-..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।

सत्यापनकर्त्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

<u>पता</u> ग्राम: वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए): पंचायत: प्रखण्ड: जिला: ज०वि०प्र० दुकान का नाम: राशनकार्ड संख्या:	राशनकार्ड में से पुराने मुखिया का नाम हटाने का कारण (प्रासंगिक कोष्ठक में ✓ लगाएँ) ☐ ☐ पुराने मुखिया की मृत्यु हो चुकी है। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न)। ☐ पुराने मुखिया द्वारा अन्य देशों में प्रवास किया जा रहा है। पुराने मुखिया गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण क्रियाशील नहीं हैं। आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर	<u>नये मुखिया का बैंक खाता विवरणी</u> आवेदक मुखिया का नाम: आधार संख्या: <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> मोबाइल नंबर : बैंक का नाम:..... बैंक शाखा का नाम: बैंक खाता संख्या:																				

* आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा-आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी निःशक्ता प्रमाण-पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण-पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र° सं°	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या										मोबाईल नम्बर									
A	B	C	D	E	F	G										H									
1	नये मुखिया का नाम				स्वयं																				
2	पुराने मुखिया का नाम																								
3	सदस्यों का नाम																								
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									

आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सही एवं त्रुटिरहित है। किसी भी गलत सूचना के लिए मेरे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।

सदस्यों के हस्ताक्षर

1.
2.
3.
4.
5.

प्रस्तावित नए मुखिया का हस्ताक्षर

☐ आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचोंपरान्त मैंने सही पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया -

उक्त राशनकार्ड में से मुखिया (नाम एवं आधार संख्या) को मृत्यु/प्रवासन/गंभीर बीमारी के कारण नाम में बदलाव किये जा सकते हैं।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम

सत्यापनकर्त्ता द्वारा राशन कार्ड रद्दीकरण हेतु जाँच प्रपत्र 10 I

पता		
ग्राम:	वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए):	पंचायत:
प्रखण्ड:	जिला:	ज॰वि॰प्र॰ दुकान का नाम:
राशनकार्ड संख्या:		

क्र॰ सं॰	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या	मोबाईल नम्बर
A	B	C	D	E	F	G	H
1					स्वयं		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचों परान्त मैंने सही पाया/ निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया -

राशनकार्डधारी परिवार को नोटिस जारी किया गया एवं उनका पक्ष जाना गया।

राशनकार्डधारी परिवार से संबंधित मुखिया/वार्ड पार्षद को नोटिस जारी किया गया एवं उनका पक्ष जाना गया।

☐ राशनकार्डधारी समावेशन मानक (कंडिका संख्या)-...../अपवर्जन मानक (कंडिका संख्या)- के आधार पर सुपात्र नहीं है।

☐ राशनकार्डधारी का पूरा परिवार अपने निवास स्थल पर लगातार छः माह से अधिक अवधि से नहीं रह रहे हैं।

☐ राशनकार्डधारी द्वारा लगातार छः माह से अधिक अवधि से जन वितरण प्रणाली दुकान से सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सामग्री का उठाव नहीं किया जा रहा है।

☐

☐

सत्यापनकर्त्ता का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट-I

{उपखण्ड-20(xvii)(ग) के अधीन}

झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2024 के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान
(खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग)
“ सूचना पट्ट”

दिनांक:-

1. जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम :
2. पता :
3. वार्ड संख्या/पंचायत :
4. अनुज्ञप्ति संख्या :
5. दुकान खुलने का समय : प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक।

(प्रत्येक सोमवार को दुकान बन्द रहेगी)

(नोट:-साईज - 3' x 2' बोर्ड का आकार पीला रंग से उसका आधार तथा उस पर काला रंग से प्रविष्टि की जायेगी)

(यह दुकान के भीतर सुगोचर स्थान पर टंगेगा)

परिशिष्ट-II

{उपखण्ड-20(xvii)(घ) के अधीन}

“ मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन-पट”

दिनांक:-

1. जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम :
2. अनुज्ञप्ति संख्या :
3. दुकान से सम्बद्ध राशन कार्ड :

राशन कार्ड के प्रकार

	गेहूँ	चावल	आवंटन चीनी	कि॰तेल	अन्य
(क) अन्नपूर्णा राशन कार्डों की संख्या :					
(ख) अन्त्योदय राशन कार्डों की संख्या :					
(ग) पूर्वविक्रता प्राप्त गृहस्थ राशन कार्डों की संख्या :					
(घ) सफेद राशन कार्डों की संख्या :					

क्र० सं०	वस्तु का नाम	आज का भंडार कि०ग्राम०	आज की प्राप्ति	कुल	दर प्रति किलो/लीटर	प्रति कार्ड/इकाई देय मात्रा	अभ्युक्ति
1	गेहूँ						
2	चावल						
3	चीनी						
4	नमक						
5	किरासन तेल						
6	अन्य						
7							
8							

4. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या (उपभोक्ता जिन्हें शिकायत करेगा) :
5. अनुज्ञापन पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पता तथा दूरभाष संख्या :
6. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या :
7. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग का पता, दूरभाष संख्या :
8. ‘ ‘ शिकायत-सह-सुझाव पुस्तिका’ ’ दुकानदार के पास उपलब्ध है। :

- नोट:-**
- (1) सूचना-पट्ट का आकार- 4' X 2 1/2' होगा।
 - (2) “वस्तु का नाम” कॉलम में दुकान से सम्बद्ध राशन कार्डों के अनुसार आवंटित वस्तु का नाम लिखा जायेगा।
 - (3) सूचना-पट्ट का आधार काला रंग से तथा उस पर उजला रंग से सभी प्रविष्टियाँ लिखी जायेगी।

परिशिष्ट-III

{उपखण्ड-17 के अधीन}

“ अनुज्ञप्तिधारी का पहचान पत्र का नमूना ”

कार्यालय का नाम :

पहचान पत्र सं०-

1. जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम :

अनुज्ञप्तिधारी का
फोटो

2. अनुज्ञप्ति संख्या :

3. पता :

4. वार्ड संख्या :

5. अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर :

6. मान्य तिथि (अनुज्ञप्ति नवीकरण की तिथि तक) :

(स्थानीय
मुखिया/वार्ड
आयुक्त/वार्ड पार्षद्
द्वारा फोटो को
अभिप्रमाणित किया
जायेगा)

पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड
आपूर्ति पदाधिकारी का
हस्ताक्षर

अनुज्ञापन पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट - IV {उपखण्ड-17 के अधीन}

“ अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का पहचान पत्र का नमूना ”

कार्यालय का नाम :

पहचान पत्र सं०-

1. जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम :

अनुज्ञप्तिधारी का फोटो

2. अनुज्ञप्ति संख्या :

3. पता :

4. मनोनीत प्रतिनिधि का नाम एवं पता :

वार्ड पार्षद्/पंचायत मुखिया द्वारा फोटो को अभिप्रमाणित किया जायेगा)

5. मनोनीत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर :

6. अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर :

7. मान्य तिथि (अनुज्ञप्ति नवीकरण की तिथि तक) :

पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड
आपूर्ति पदाधिकारी का
हस्ताक्षर

अनुज्ञापन पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट-V

{उप खण्ड 6 (ज)(I)(छ) के अधीन}

प्राथमिकता सूची हेतु अधिमानता मानक

- (i) आदिम जनजाति परिवार (PVTG)
- (ii) विधवा/परित्यक्ता/ Transgender
- (iii) निःशक्त (40 प्रतिशत या इससे अधिक)
- (iv) कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति
- (v) अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार
- (vi) अनुसूचित जनजाति
- (vii) अनुसूचित जाति
- (viii) अन्यान्य
- (ix)
